।।ओ३म।।

www.smrpgcollege.in
smrpgcollege@gmail.com

सरदार महिपाल राजेन्द्र
जनजातीय (पी.जी.) कॉलेज
S.M.R. JANJATIYA (P.G.) COLLEGE

Affiliated to Sri Dev Suman Uttarakhand University

विवरणिका
Prospectus
2026-27

9

ग्लोबल शिक्षा समिति, समाल्टा द्वारा संचालित

एस.एम.आर. जनजातीय (पी.जी.) कॉलेज

साहिया, देहरादून

संक्षिप्त परिचय

नैसर्गिक प्रदेश उत्तराखण्ड की सुरम्य उपत्यका में विलसित 'साहिया' में संद्यः स्थापित **"सरदार महिपाल राजेन्द्र जनजातीय (पी.जी.) कॉलेज"** जौनसार बावर क्षेत्र की महनीय शैक्षिक उपलब्धि है। इस क्षेत्र के जनमानस में उच्च शैक्षणिक संस्थान खोलने की मनोभावना दीर्घकाल से रही जो लगभग तीन दशक से भी अधिक वर्षों के संकल्पों व सात्विक संघर्षों के उपरान्त पूर्ण हुई। **प्रथमतः सन् 2010 में जौनसार बावर के साहिया में ग्लोबल शिक्षा समिति (समाल्टा)** द्वारा उच्च शिक्षा से वंचित जनजातीय छात्र-छात्राओं को दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के माध्यम से लाभान्वित करने हेतु उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त अध्ययन केन्द्र (सत्र 2011-12) स्थापित किया गया। उच्च शिक्षा के प्रति स्थानीय छात्र-छात्राओं की अत्यधिक अभिरूचि के प्रति सजग प्रबन्ध समिति ने **वर्ष 2017 में "सरदार महिपाल राजेन्द्र स्नातक महाविद्यालय" की स्थापना की और इसे 6 जून 2018 को (सत्र 2018-19 में स्नातक एवं 2021-22 में स्नातकोत्तर व व्यावसायिक पाठ्यक्रम) श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय से सम्बद्ध कराया।**

प्राचीन "कुलिन्द" नाम से ख्यात यह वर्तमान जौनसार बावर पुनः अपने खोए शैक्षिक गौरव को स्थापित करने की दिशा में तत्पर है। कलिन्द गिरि से निकली हुई कालिन्दी की उज्ज्वल संस्कृति सिर्फ उत्तराखण्ड ही नहीं अपितु सम्पूर्ण भारत वर्ष में अपना महत्व स्थापित करती रही है और आगे भी करती रहेगी। यह महाविद्यालय इसमें महती भूमिका निभा रहा है। प्राकृतिक परिवेश की स्वाभाविक दुरूहता के बावजूद उच्च शिक्षा के लिए इच्छुक छात्र-छात्रायें इस महाविद्यालय से सरलतापूर्वक शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, और राज्य तथा राष्ट्र हित में अपना योगदान दे रहे हैं। जौनसार बावर क्षेत्र के माध्यमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को अब सुदूर शहरों में अध्ययन हेतु नहीं जाना पड़ रहा है। यह सुखद अनुभूति सहज ही मन को आह्लादित कर देने वाली है। दुरस्त शिक्षा क्षेत्र में 15 वर्ष एवं संस्थागत शिक्षा क्षेत्र में 8 वर्ष की इस शैक्षणिक यात्रा में विभिन्न पाठ्यक्रमों में 18-23 वर्ष आयु वर्ग में उच्च शिक्षा के लिए पंजीकरण के मामले में छात्रों की तुलना में छात्राओं की संख्या अधिक है। अतः एस.एम.आर. परिवार महाविद्यालय में आने वाले समस्त शिक्षार्थियों के उज्ज्वल भविष्य की मंगल कामना करता है।

दृष्टि (Vision)

जनजातीय समाज एवं यमुना व टोंस घाटी के छात्रों, विशेषकर जौनसार-बावर क्षेत्र के युवाओं के लिए उच्च शिक्षा को सुलभ, गुणवत्तापूर्ण तथा नवाचार एवं उद्यमिता उन्मुख बनाते हुए प्रत्येक छात्र-छात्रा तक पहुँचाना, ताकि वे उच्च शिक्षा की मुख्यधारा से जुड़कर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं दूरदर्शी दृष्टिकोण से समृद्ध, आत्मनिर्भर एवं राष्ट्र की मूल्यवान मानव पूंजी के रूप में विकसित हो सकें तथा जनजातीय क्षेत्र शैक्षिक रूप से सशक्त एवं विकसित हो सके।

लक्ष्य (Mission)

हमारा लक्ष्य है कि बदलते सामाजिक परिवेश में महाविद्यालय को उच्च शिक्षा के उत्कृष्ट संस्थान के रूप में विकसित करते हुए उसे NAAC ग्रेडिंग में स्थापित किया जाए तथा भविष्य में राज्य सरकार से सहायता प्राप्त एवं स्वायत्त (ऑटोनॉमस) संस्थान के रूप में विकसित किया जाए। साथ ही, जनजातीय समाज एवं यमुना व टोंस घाटी के छात्रों, विशेषकर जौनसार-बावर क्षेत्र के युवाओं के लिए सुलभ, गुणवत्तापूर्ण, मूल्यपरक एवं रोजगारपरक शिक्षा प्रदान की जाए, ताकि वे आत्मनिर्भर, उत्तरदायी एवं समाज के उपयोगी नागरिक बन सकें।

उद्देश्य (Objectives)

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) के अनुरूप बहुविषयक, मूल्य आधारित एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना।
- भारतीय ज्ञान परंपरा के समावेश के साथ जनजातीय छात्रों में नवाचार, उद्यमिता एवं नेतृत्व क्षमता का विकास करना।
- कौशल आधारित, रोजगारपरक, डिजिटल एवं AI शिक्षा के माध्यम से छात्रों को भविष्य के लिए तैयार करना।
- नैतिकता, अनुशासन, मानवाधिकार एवं पर्यावरण के प्रति जागरूकता विकसित करना।
- समावेशी, सुरक्षित एवं छात्र-केंद्रित वातावरण सुनिश्चित करना तथा गुणवत्ता व पारदर्शिता को सुदृढ़ करना।
- अनुसंधान, नवाचार एवं स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप अध्ययन को बढ़ावा देकर क्षेत्रीय विकास में योगदान देना।

श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय
बादशाहीथौल, टिहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड-249199
Sri Dev Suman Uttarakhand University
Badshahithaul, Tehri Garhwal, Uttarakhand-249199

प्रो. एन.के. जोशी, कुलपति
मो.: 9520871191
वेबसाइट: www.sdsuv.ac.in
ईमेल: vs@sdsuv.ac.in

Prof. N.K. Joshi,
Vice Chancellor
Mob.: 9520871191
website: www.sdsuv.ac.in
E-mail: vs@sdsuv.ac.in

दिनांक: 26/05/2026

संदेश

हर्ष का विषय है कि जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र जौनसार-बावर के साहिया में स्थित सरदार महिपाल राजेन्द्र जनजातीय (पी.जी.) कॉलेज द्वारा सत्र 2026-27 की 9वीं विवरणिका का प्रकाशन किया जा रहा है। यह विवरणिका केवल महाविद्यालय की शैक्षिक गतिविधियों का परिचय मात्र नहीं है, बल्कि संस्थान की उपलब्धियों, कार्यप्रणाली, अनुशासन, छात्र-हितकारी योजनाओं तथा सांस्कृतिक एवं सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों का समग्र प्रतिबिम्ब भी प्रस्तुत करती है।

दुर्गम जनजातीय क्षेत्र में स्थित होने के बावजूद महाविद्यालय द्वारा उच्च शिक्षा के प्रसार, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, नैतिक मूल्यों के संवर्धन तथा विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास हेतु निरन्तर सराहनीय प्रयास किए जा रहे हैं। महाविद्यालय में विद्यार्थियों को पुस्तकालय, प्रयोगशालाएँ, खेल सुविधाएँ, सांस्कृतिक गतिविधियाँ, कैरियर मार्गदर्शन एवं अन्य छात्र-कल्याणकारी सुविधाएँ उपलब्ध कराई जा रही हैं, जो उनके उज्ज्वल भविष्य निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

यह जानकर प्रसन्नता हुई कि महाविद्यालय द्वारा खेल एवं सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों को बढ़ावा देने हेतु प्रभावी नियमावली एवं अनुशासनात्मक व्यवस्थाएँ लागू की गई हैं। इससे विद्यार्थियों में अनुशासन, नेतृत्व क्षमता, प्रतिस्पर्धात्मक भावना एवं उत्कृष्ट प्रदर्शन की प्रेरणा प्राप्त होगी साथ ही, विवरणिका में समाहित विभिन्न जानकारियाँ विद्यार्थियों, अभिभावकों एवं शिक्षकों के लिए एक उपयोगी मार्गदर्शिका सिद्ध होंगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह विवरणिका विद्यार्थियों को शिक्षा, संस्कार, अनुशासन एवं सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति प्रेरित करने के साथ-साथ महाविद्यालय की उत्कृष्ट शैक्षिक परम्पराओं को और अधिक सुदृढ़ करेगी।

मैं महाविद्यालय प्रबन्ध समिति, प्राचार्य, समस्त प्राध्यापकों, कर्मचारियों एवं विद्यार्थियों को इस विवरणिका के सफल प्रकाशन हेतु हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूँ तथा महाविद्यालय की निरन्तर प्रगति एवं सभी विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य की मंगलकामना करता हूँ।

मंगलकामनाओं सहित!

प्रो. एन.के. जोशी,

एस.एम.आर. जनजातीय (पी.जी.) कॉलेज,
साहिया, देहरादून (उत्तराखण्ड)

सरदार महिपाल राजेन्द्र जनजातीय (पी.जी.) कॉलेज, साहिया, देहरादून

संदेश

शिक्षा, सबसे बड़े अर्थों में, कोई भी कार्य या अनुभव है जो किसी व्यक्ति के मन, चरित्र या शारीरिक क्षमता पर एक रचनात्मक प्रभाव डालता है। तकनीकी अर्थ में शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा समाज अपने संचित ज्ञान, कौशल और मूल्यों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जान-बूझकर प्रसारित करता है। इस प्रकार शिक्षा वह मौलिक आधार है जो सामाजिक विकास को प्रेरित करता है।

हमें "बच्चों को सिखाना चाहिए कि कैसे सोचना है, न कि क्या सोचना है।" मैं अपेक्षा करता हूँ कि एक प्रबुद्ध और सामाजिक रूप से जिम्मेदार इंसान को एक शिक्षक द्वारा दो महत्वपूर्ण विशेषताओं के माध्यम से विकसित किया जा सकता है पहली, छात्रों में जिज्ञासा उत्पन्न करके और दूसरी, एक सुदृढ़ मूल्य प्रणाली का विकास करके। एक शिक्षक द्वारा अपनाया गया यह जीवन दृष्टिकोण वास्तव में छात्रों के लिए एक प्रकाश स्तम्भ बन जाता है। प्रारम्भ से ही सरदार महिपाल राजेन्द्र जनजातीय (पी.जी.) कॉलेज में एक ऐसा वातावरण बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जहाँ प्रत्येक छात्र-छात्रा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित हो।

सरदार महिपाल राजेन्द्र जनजातीय (पी.जी.) कॉलेज को निरन्तर प्रगति करते देखकर मुझे अत्यन्त प्रसन्ता होती है। यह सब यहाँ कार्यरत सभी शिक्षकों, शिक्षणेत्तर कर्मचारियों एवं अन्य सहयोगियों के सामूहिक प्रयासों का परिणाम है। मैं शिक्षणेतर के रूप में इन सपनों को साकार करने हेतु छात्रों और अभिभावकों के सहयोग एवं सक्रिय सहभागिता की अपेक्षा करता हूँ।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं सरदार महिपाल राजेन्द्र जनजातीय (पी.जी.) कॉलेज में आप सभी का स्वागत करता हूँ और आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ।

अनिल सिंह तोमर
चेयरमैन

सलाहकार निदेशक की कलम से....

शिक्षा वास्तविक अर्थों में सत्य की खोज है जो निरन्तर सीखने की प्रक्रिया है और यह प्रक्रिया जीवन पर्यन्त गतिमान रहती है 'शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति स्वयं को संगठित करने का कार्य करता है, जिसके द्वारा मनुष्य जीवन की परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालता है।'

किसी राष्ट्र का भाग्य वहाँ की शिक्षा के स्तर पर निर्भर करता है अत: हमारा नैतिक दायित्व है कि हर बच्चे को नैतिक मूल्य पर आधारित अच्छी शिक्षा दें। इसी सोच और सद्भावना के साथ जनजातीय क्षेत्र जौनसार बावर के साहिया में सरदार महिपाल राजेन्द्र जनजातीय (पी.जी.) कॉलेज गतिमान है।

सरदार महिपाल राजेंद्र जनजातीय (पी.जी.) कॉलेज छात्रों के चहुँमुखी विकास के लिए प्रयत्नशील है और निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है। विगत सात वर्षों की सफल यात्रा में महाविद्यालय स्नातक, स्नातकोत्तर व व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को संचालित करने में सफल रहा है। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एस.एम.आर. जनजातीय (पी.जी.) कॉलेज द्वारा प्रारम्भ की गई इस मुहिम में, मैं जनमानस से अपील करता हूँ कि अपना अमूल्य योगदान देकर सहयोग प्रदान करें। हम स्थानीय लोगों एवं सामाजिक उद्देश्यों के लिए कार्य करने वाले लोगों से आह्वान करते हैं कि वे भी महाविद्यालय से जुड़ें और उच्च शिक्षा से वंचित छात्र-छात्राओं को एक उचित मार्ग दिखाएं। इसमें महाविद्यालय सदैव कर्तव्य-निष्ठा के साथ जन सहभागिता के लिए भी तत्पर है।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं एस.एम.आर जनजातीय (पी.जी.) कॉलेज में सभी छात्र-छात्राओं का स्वागत करता हूँ और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ।

शक्ति सिंह बर्त्वाल

प्राचार्य की कलम से.....

प्रिय अभिभावकों एवं विद्यार्थियों, मुझे यह बताते हुए अत्यंत गौरव एवं प्रसन्नता हो रही है कि 'सरदार महिपाल राजेंद्र जनजातीय (पी.जी) कॉलेज, साहिया' ज्ञान, संस्कार एवं सामाजिक जागरूकता का एक मजबूत केंद्र बनकर उभर रहा है। इस शिक्षालय ने जनजातीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों के सपनों को आकार देने का बीड़ा उठाया है। महाविद्यालय का उद्देश्य केवल किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं है, बल्कि विद्यार्थियों को जीवन मूल्यों, नैतिक आदर्शों एवं सामाजिक उत्तरदायित्व की समझ से भी संपन्न बनाना है। हम यह सुनिश्चित करते हैं कि यहाँ से ज्ञान प्राप्त कर प्रत्येक विद्यार्थी ज्ञानवान, आत्मनिर्भर और संस्कारी नागरिक बने।

आज के बदलते वैश्विक परिदृश्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ-साथ तकनीकी दक्षता, रचनात्मकता एवं नेतृत्व क्षमता विकसित करना अत्यंत आवश्यक है। इसी उद्देश्य से महाविद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षण के साथ-साथ विभिन्न सह-पाठ्यक्रमीय गतिविधियाँ, सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं व्यक्तित्व विकास कार्यशालाएँ आयोजित की जाती हैं। हमारा प्रयास है कि विद्यार्थी अपनी जड़ों से जुड़े रहें और अपनी सांस्कृतिक धरोहर की महत्ता को समझें। जनजातीय समाज के विकास और संरक्षण को ध्यान में रखते हुए शोध एवं नवाचार को भी विशेष महत्व दिया जाता है।

मैं अभिभावकों से अपील करता हूँ कि वे अपने बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए उन्हें सकारात्मक और सहयोगपूर्ण वातावरण दें। शिक्षकों से अपेक्षा है कि वे ज्ञान के साथ विद्यार्थियों के हृदय को भी छूने का प्रयास करें ताकि उनका सर्वांगीण विकास संभव हो सके।

आइए हम सभी मिलकर इस शिक्षालय को एक ऐसा ज्ञान मन्दिर बनाएं जहाँ से ज्ञान अर्जन कर प्रत्येक विद्यार्थी "विद्या, विनय और सेवा" का आदर्श लेकर समाज में परिवर्तन का वाहक बने तथा आशा करता हूँ कि आप सभी के सहयोग, प्रेम और आशीर्वाद के साथ हम आने वाले समय में नई ऊँचाइयों को स्पर्श करेंगे

डॉ० रवि कुमार

1. प्रवेश सम्बन्धी नियम 2026-2027

1.1 प्रवेश समर्थ पोर्टल के माध्यम से वरीयता सूची पर आधारित होंगे।

1.2 सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु प्राचार्य/उप-प्राचार्य /विभागाध्यक्ष, प्रवेश विभाग, प्रवेश समिति का गठन करेंगे, जो प्रवेश सम्बन्धी कार्यों का दायित्व पूर्ण करेंगे। प्रवेश के लिये प्राचार्य/उप-प्राचार्य /विभागाध्यक्ष, प्रवेश विभाग एवं अध्यक्ष का निर्णय अन्तिम होगा।

1.3 प्रवेश विवरणिका अच्छी प्रकार पढ़ लें। इसमें दिए गए प्रावधान तथा विनियम कॉलेज और विश्वविद्यालय द्वारा यथासमय परिवर्तनीय हैं।

1.4 एस.एम.आर. जनजातीय (पी.जी.) कॉलेज मूलतः जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र जौनसार बावर एवं यमुना व टोंस घाटी के निवासियों की शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु है, अतः प्रवेश में स्थानीय छात्रों को वरीयता दी जायेगी।

1.5 महाविद्यालय खेल नियमावली के अनुसार खेल कोटा के अंतर्गत आवंटित 50 निःशुल्क सीटों पर प्रवेश के इच्छुक छात्र-छात्राओं को पृथक (क्रीड़ा विभाग) से आवेदन फॉर्म प्राप्त कर निर्धारित प्रवेश तिथि तक जमा करना अनिवार्य होगा। खेल कोटा के पात्र छात्र-छात्राओं की सूची क्रीडा विभाग द्वारा जारी की जाएगी।

1.6 द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ/पंचम/षष्ठ /सप्तम/अष्टम सेमेस्टर के सभी प्रवेशार्थियों हेतु प्राचार्य/उप-प्राचार्य/विभागाध्यक्ष, प्रवेश विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेश मान्य होंगे।

1.7 कृपया अपना पंजीकरण फॉर्म एवं प्रवेश आवेदन-पत्र भरते समय जाँच लें कि-

1. प्रवेश हेतु समर्थ पोर्टल पर पंजीकरण फॉर्म विधिवत् भरा गया हो।
2. पंजीकरण फॉर्म एवं प्रवेश आवेदन-पत्र में आपके नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ (रंगीन) तथा मोबाईल नम्बर, ई-मेल आईडी, ABC ID व स्थाई पता एक ही हो।
3. प्रवेश आवेदन पत्र (फॉर्म-ए) के साथ निम्नलिखित संलग्नक भी नत्थी करें।
   - (i) रैगिंग रोकथाम सम्बन्धी शपथ-पत्र, घोषणा पत्र, छात्र द्वारा शपथपत्र (प्रारूप 'क') एवं पिता अथवा अभिभावक की घोषणा (प्रारूप 'ख')।
   - (ii) जन्म तिथि के प्रमाण हेतु हाईस्कूल अथवा समकक्ष प्रमाण-पत्र की स्व-सत्यापित प्रतिलिपि।
   - (iii) प्रवेश आवेदन पत्र के साथ अर्हकारी (Qualifying) परीक्षा की अंकतालिकाओं तथा खेल एवं अन्य प्रमाण पत्रों की स्व-प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न करना अनिवार्य है।
   - (iv) स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र (T.C) तथा चरित्र प्रमाण पत्र (C.C)एवं प्रवजन प्रमाण पत्र (Migration) की मूल प्रति (महाविद्यालय में पहली बार प्रवेशार्थी के लिये) अनिवार्य होगी।
   - (v) संस्थागत परीक्षार्थी को पूर्व संस्था के प्रधानाचार्य/प्राचार्य तथा व्यक्तिगत परीक्षार्थी को किसी राजपत्रित (गजेटेड) अधिकारी/ लोकसभा/ विधानसभा/जिला पंचायत/ क्षेत्र पंचायत/ नगर पंचायत के सदस्य द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण-पत्र प्रवेश आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(vi) रैगिंग रोकथाम हेतु शपथपत्र (फॉर्म-बी) (छात्र स्वयं के तथा अभिभावक (माता/पिता) के हस्ताक्षर सहित)।

(vii) अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विकलांग/ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) इत्यादि आरक्षित श्रेणी से आच्छादित अभ्यर्थियों को निर्धारित प्रपत्र पर उपजिलाधिकारी/जिलाधिकारी/मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।

1.8 समर्थ पोर्टल पर सही एवं स्पष्ट रूप से भरा हुआ पंजीकरण फॉर्म एवं प्रवेश आवेदन-पत्र व्यक्तिगत रूप से निर्धारित तिथि तक महाविद्यालय कार्यालय में जमा करना अनिवार्य है। पंजीकरण फॉर्म एवं प्रवेश आवेदन-पत्र के साथ प्रमाण-पत्रों की स्व-प्रमाणित प्रतिलिपियाँ संलग्न करना आवश्यक है। **समर्थ पोर्टल पर पंजीकरण फॉर्म एवं महाविद्यालय प्रवेश-फॉर्म पर छात्र-छात्रा का वही नाम मान्य होगा जो कि उसके हाई-स्कूल या समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र पर अंकित होगा। उपनाम अनुमन्य नहीं है।**

1.9 अपूर्ण प्रवेश आवेदन-पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा। प्रवेश आवेदन-पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि के पश्चात् किसी भी प्रकार का कोई प्रपत्र, प्रवेश आवेदन-पत्र में संलग्न नहीं किया जा सकेगा।

1.10 दुराचरण अथवा अनवरत प्रमाद के दोषी छात्रों को अर्थदण्ड सहित निलम्बित, निष्कासित, बहिष्कृत या विश्वविद्यालय परीक्षा से वंचित किया जा सकता है। जिन छात्रों की गतिविधियाँ नियन्ता मण्डल-प्रशासन की राय में अवांछनीय है उन्हें प्रवेश देने से रोका जा सकता हैं अथवा इनका प्रवेश निरस्त किया जा सकता है। शासकीय आदेश संख्या अ.षा. 2421/15 -10-87/134/86 दिनांक 8 मई 1987 के अनुसार अवांछनीय तत्वों अथवा अध्ययन में रूचि न रखने वाले छात्र-छात्राओं को प्रवेश से वंचित किया जा सकता है। यदि प्रवेश दिया जा चुका है तो इस तथ्य का पता लगने पर प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।

1.11 प्रवेशार्थी अपने पंजीकरण फॉर्म एवं प्रवेश आवेदन-पत्र के साथ अंक-तालिका या जाति/अधिमान प्रमाण-पत्रों की मूल प्रति नत्थी न करें। केवल स्व-प्रमाणित प्रतियाँ ही लगायें। मूल-प्रतियाँ साक्षात्कार/सत्यापन/प्रवेश काउंसलिंग के समय प्रस्तुत करनी होगी।

1.12 प्रवेशार्थियों को चेतावनी दी जाती है कि वे अपने आवेदन-पत्रों में कोई असत्य सूचना न दें और न ही कोई तथ्य छिपाएं। उनके द्वारा प्रस्तुत अंक-तालिकाओं और प्रमाण-पत्रों की प्रतिलिपियाँ सम्बन्धित विश्वविद्यालय/परीक्षा निकायों को सत्यापन हेतु भेजी जा सकती है। सत्यापन के उपरान्त यदि कोई पत्रजात (Document) असत्य पाया जाता है तो न केवल प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा, अपितु कानूनी कार्यवाही भी की जायेगी।

1.13 समर्थ पोर्टल की वरीयता सूची में चयन के बाद अभ्यर्थी को महाविद्यालय की प्रवेश समिति के समक्ष मूल प्रमाण-पत्रों की जाँच करानी अनिवार्य होगी। सभी प्रमाण-पत्रों के सही पाये जाने पर ही प्रवेश समिति द्वारा प्रवेश की संस्तुति दी जायेगी।

1.14 महाविद्यालय प्रवेश समिति द्वारा अभ्यर्थी को प्रवेश की संस्तुति मिलने पर ही प्रवेश शुल्क उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक मे चालान के माध्यम से जमा करने की अनुमति होगी।

1.15 उपस्थिति पंजिका में किसी भी छात्र-छात्रा का नाम सम्बन्धित विषय प्राध्यापक द्वारा तभी लिखा जायेगा, जब कार्यालय द्वारा आदेश/छात्रों द्वारा फीस रसीद एवं प्रमाणित परिचय-पत्र उन्हें दिखाया जायेगा।

1.16 महाविद्यालय किसी अभ्यर्थी को प्रवेश सम्बन्धित सूचना देने के लिए बाध्य नहीं होगा। प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थियों का दायित्व है कि वह समय–समय पर महाविद्यालय के सूचनापट्ट एवं वेबसाइट पर लगने वाली सूचनायें प्राप्त करें।

1.17 मिथ्या/अपूर्ण सूचनायें प्रस्तुत करने पर किसी भी छात्र–छात्रा को महाविद्यालय से निष्कासित किया जा सकता है। अगर त्रुटिवश मिथ्या सूचना के आधार पर किसी छात्र–छात्रा को प्रवेश प्राप्त हो गया हो तो ऐसे तथ्यों के प्रकाश में आने पर सम्बन्धित अनियमित प्रवेश को निरस्त करने का विधि सम्मत अधिकार प्राचार्य/उप–प्राचार्य /विभागध्यक्ष, प्रवेश विभाग एवं अध्यक्ष को होगा।

1.18 महाविद्यालय को, बिना कोई कारण दिये प्रवेश न देने/निरस्त करने का अधिकार है। **प्राचार्य/उप–प्राचार्य/ विभागध्यक्ष, प्रवेश विभाग एवं अध्यक्ष द्वारा कोई भी प्रवेश कभी भी बिना कोई कारण बताये निरस्त किया जा सकता है।**

1.19 प्रवेश के इच्छुक छात्र–छात्रा का प्रवेश के समय **प्रवेश समिति के समक्ष स्वयं उपस्थित होना अनिवार्य है।**

1.20 **'राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान' (एन.आई.ओ.एस.)** से पांच विषय लेकर 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण छात्र–छात्रा स्नातक कक्षा में प्रवेश के लिए अर्ह होंगे। बशर्ते 10वीं के बाद 2 वर्ष का अन्तराल हो।

1.21 विश्वविद्यालय के नियमानुसार महाविद्यालय में आकस्मिक प्रवेश Casual Admission पूर्णतः वर्जित है।

1.22 प्रवेश सम्बन्धित सभी सूचनायें तथा आवेदन पत्र जमा किये जाने की अन्तिम तिथि, वरीयता सूची, प्रवेश हेतु चयन, शुल्क जमा करने की अन्तिम तिथि आदि कॉलेज सूचना पट्ट एवं वेबसाइट के माध्यम से प्रसारित की जायेगी। इसलिए सभी प्रवेशार्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे कॉलेज के सूचना पट्ट एवं वेबसाइट का निरन्तर अवलोकन करते रहें।

1.23 पाठ्यक्रम/कार्यक्रम (Programme) एक वर्ष यू.जी. सर्टिफिकेट, दो वर्ष का यू.जी. डिप्लोमा, तीन वर्ष की स्नातक डिग्री (बी.ए., बी.कॉम इत्यादि), चार वर्ष की स्नातक (आर्नस) डिग्री, चार वर्ष की स्नातक (ऑनर्स विद रिसर्च) डिग्री, पाँच वर्ष की स्नात्कोत्तर डिग्री प्रदान की जाएगी।

1.24 समर्थ पोर्टल पर प्रवेश समिति द्वारा एक बार विषय आवंटित होने पर पुनः विषय परिवर्तन नहीं किया जायेगा। सीटों की उपलब्धता होने पर ही प्रवेश समिति विश्वविद्यालय नियमानुसार विषय परिवर्तन कर सकती हैं। बशर्ते छात्र–छात्रा को निर्धारित विषय परिवर्तन शुल्क जमा कराना अनिवार्य होगा।

1.25 अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों को उसी कक्षा एवं पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं दिया जायेगा। श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय से अनुत्तीर्ण छात्र अथवा ड्रॉप–आउट, भूतपूर्व छात्र के रूप में परीक्षा में सम्मिलित हो सकते हैं। **ड्रॉपआउट से तात्पर्य है कि छात्र–छात्रा द्वारा विधिवत् प्रवेश लेने के पश्चात् पूरे सत्र अध्ययन किया हो, परीक्षा आवेदन पत्र भरा हो और किसी कारणवश परीक्षा में सम्मिलित न हुआ हो।**

1.26 प्रवेश सम्बन्धी अन्य नियमों में श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय के नियम लागू होंगे।

1.27 श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय द्वारा अनुमन्य सीटों के अनुरूप ही प्रवेश दिए जायेंगे।

1.28 अन्तिम प्रवेश हेतु आधार कार्ड नम्बर एवं ए.बी.सी.आई.डी. अनिवार्य होगी।

1.29 स्नातक पाठ्यक्रम बी.ए., बी.कॉम. एवं डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट के प्रत्येक छात्र–छात्रा के लिए निर्धारित महाविद्यालय गणवेश (यूनिफॉर्म) अनिवार्य होगी। स्नातकोत्तर एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के छात्र–छात्राओं को महाविद्यालय गणवेश (यूनिफॉर्म) अनिवार्य नहीं है।

1.30 प्रवेशार्थी निर्धारित तिथि से पूर्व तक प्रवेश आवेदन पत्र महाविद्यालय कार्यालय में जमा कर दें। उसके पश्चात् किसी भी प्रवेश आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा।

1.31 स्नातक पाठ्यक्रम बी.ए., बी.कॉम, बी.लिब एवं डिप्लोमा प्रथम सैमेस्टर में प्रवेश हेतु न्यूनतम अर्हता-

कक्षा	प्रवेशार्थी का वर्ग	प्राप्तांकों के कुल योग का न्यूनतम प्रतिशत (पाँच विषयों में अर्हता विषयों के साथ)
बी.ए.(प्रथम सेमेस्टर)	सामान्य	इण्टर/समकक्ष 40 प्रतिशत
बी.कॉम (प्रथम सेमेस्टर)	सामान्य	इण्टर/समकक्ष 40 प्रतिशत
बी.लिब (प्रथम सेमेस्टर)	सामान्य	स्नातक/समकक्ष 45 प्रतिशत
डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट	सामान्य	इण्टर/समकक्ष 40 प्रतिशत

i अनुसूचित जाति व जनजाति छात्र-छात्राओं के लिए 5 प्रतिशत की छूट देय होगी।

ii 39.9 प्रतिशत अंक को 40 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति व जनजाति छात्र-छात्राओं के लिए 34.9 प्रतिशत अंक को 35 प्रतिशत नहीं माना जायेगा।

iii बी.ए./बी.कॉम/बी.लिब/डिप्लोमा प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश, सीटों की उपलब्धता एवं वरीयता सूची के आधार पर ही निर्धारित तिथि तक किये जायेंगे।

iv सभी पाठ्यक्रमों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अन्तर्गत सेमेस्टर प्रणाली लागू है।

v संस्थागत छात्र एक ही सत्र में अन्य किसी शिक्षण संस्थान में प्रवेश नहीं लेगा, और न ही अन्य उपाधि हेतु परीक्षा में सम्मिलित होगा। यदि कोई छात्र-छात्रा इस नियम का उल्लंघन कर परीक्षा में सम्मिलित होता है तो विश्वविद्यालय द्वारा उसकी परीक्षा निरस्त कर दी जायेगी।

vi उत्तराखण्ड प्रदेश के अभ्यर्थियों के अतिरिक्त अन्य प्रदेश के अभ्यर्थियों को प्रवेश से पूर्व अपना पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

vii प्रवेश की अन्तिम तिथि तक यदि 10+2 अनुपूरक या कम्पार्टमेंट का परिणाम घोषित होता है तो ऐसे अभ्यर्थियों को भी प्रवेश दिया जा सकता है। बशर्ते कि इन्होंने निर्धारित तिथि तक समर्थ पोर्टल पर ऑनलाईन पंजीकरण एवं महाविद्यालय प्रवेश आवेदन पत्र जमा कर दिये हों।

viii श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय के पत्र पत्रांक संख्या 3529/प्रशासन/एसडीएसयूवी/2023 दिनांक 24 जुलाई, 2023 एवं 720/SDSUV/Conf./Exam/2025 दिनांक 06 मई 2025 के अनुपालन में दो वर्ष से अधिक गैप की बाध्यता को समाप्त कर दिया गया है।

ix डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट में प्रवेश हेतु न्यूनतम अर्हता इण्टरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

1.32 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम एम.ए. एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रम प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश हेतु न्यूनतम अर्हता

i कला संकाय की स्नातकोत्तर कक्षाओं एम.ए. एवं पी.जी. डिप्लोमा में प्रवेश हेतु न्यूनतम अर्हता श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय अथवा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा में उत्तीर्ण न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक होंगे।

ii अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग /दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए प्रवेश अर्हता में 5 प्रतिशत अंक की छूट देय होगी।

iii स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम एम.ए. के किसी भी विषय में प्रवेश बी.ए. के किसी एक विषय के आधार पर ही होगा।

iv स्नातकोत्तर स्तर पर विभिन्न विषयों में प्रवेश समर्थ पोर्टल के माध्यम से वरीयता सूची पर आधारित होंगे। वरीयता सूची में अर्ह होने पर प्रवेश फॉर्म महाविद्यालय कार्यालय में निर्धारित तिथि पर जमा कराना होगा।

v प्रयोगात्मक विषय में केवल उसी विषय में प्रवेश अनुमन्य होगा जिसमें छात्र ने प्रयोगात्मक विषयों के साथ बी.ए. तीन वर्षीय पाठ्यक्रम के अन्तर्गत पढ़ा हो।

vi बी.एस.सी एवं बी.कॉम में उत्तीर्ण छात्र–छात्रा एम.ए. प्रथम सेमेस्टर के किसी भी विषय में (प्रयोगात्मक विषय को छोड़कर) प्रवेश के लिए अर्ह होंगे।

2. वरीयता सूची आधारित प्रवेश प्रक्रिया

2.1 पहले छात्रों को समर्थ पोर्टल पर पंजीकरण फॉर्म भरकर जमा करना होगा। पंजीकरण फार्म में अंकित प्राप्तांकों के कुल योग के प्रतिशत के अनुसार जारी वरीयता सूची में स्थान पाने पर ही प्रवेश दिया जायेगा। वरीयता सूची इण्टरमीडिएट/समकक्ष अर्ह परीक्षा के प्राप्तांकों के प्रतिशत के आधार पर बनाई जायेगी।

2.2 प्रवेश हेतु एक प्रवेश समिति गठित की जायेगी जो निर्धारित अन्तिम तिथि तक प्राप्त पंजीकरण फॉर्मों के आधार पर वरीयता सूची नोटिस बोर्ड/वेबसाइट पर उपलब्ध करायेगी, प्रवेशार्थी इस सूची को स्वयं देखना सुनिश्चित करेंगे। प्रवेशार्थियों को व्यक्तिगत रूप से सूचना नहीं दी जायेगी। प्रवेश हेतु चयनित सभी प्रवेशार्थियों को सूची में निर्दिष्ट तिथि को साक्षात्कार हेतु उपस्थित होना अनिवार्य होगा। जिसमें उनकी अभिरूचि का आंकलन किया जायेगा। प्रवेश समिति को अधिकार होगा कि विशेष परिस्थितियों में वरीयता सूची में नाम होने के बाद भी प्रवेश देने से इन्कार कर दें। साक्षात्कार के समय सभी अभिलेखों की मूल प्रति दिखाना अनिवार्य होगा।

2.3 अपने आवेदन पत्र के साथ अर्ह परीक्षा की अंक–तालिकाओं की स्व–सत्यापित प्रतिलिपि अवश्य संलग्न करें।

2.4 अधूरे भरे आवेदन–पत्र जिनके साथ वांछित संलग्नक नहीं लगे हैं निरस्त कर दिये जायेंगे।

2.5 वरीयता सूची तैयार करने में पूरी सावधानी बरती जायेगी, किन्तु फिर भी यदि कोई त्रुटि किसी समय भी ज्ञात होती है तो उसे दूर किया जायेगा। चाहे इससे किसी प्रवेशार्थी की वरीयता पर कोई भी प्रभाव पड़ता हो। त्रुटिवश वरीयता सूची में आया कोई नाम प्रवेश का हकदार नहीं होगा। उसे किसी भी स्तर पर निरस्त करने का पूर्ण अधिकार प्रवेश समिति का होगा।

2.6 यदि वरीयता सूची के प्रवेशार्थियों के प्रवेश के बाद सीटें रिक्त रहती हैं तो प्रतीक्षा सूची के प्रवेशार्थियों को अवसर दिया जायेगा। प्रतीक्षा सूची एक से अधिक भी हो सकती हैं।

2.7 **सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु सूची में नाम आने पर यदि निर्धारित तिथि तक छात्र प्रवेश नहीं लेता है तो उसका दावा समाप्त हो जायेगा।**

3. प्रवेश हेतु अधिमानित अंक (वेटेज)

प्रवेश लेने वाले छात्रों को निम्नलिखित श्रेणी में आने पर वांक्षित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की दशा में उनके सम्मुख अंकित अंको का लाभ देय होगा–

क.	एन.सी.सी.बी अथवा सी प्रमाण पत्र प्राप्त अभ्यर्थी	25 अंक
ख.	राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत विशेष शिविर (कम से कम 07 दिवसीय शिविर में भाग लेने पर)	20 अंक
ग.	प्रतिरक्षा सेनाओं में कार्यरत अथवा सेवानिवृत्त कर्मचारियों या उनके पुत्र/पुत्री/पति/पत्नी/सगा भाई–बहन	20 अंक
घ.	जम्मू कश्मीर में तैनात अर्द्धसेनिकों के पुत्र/पुत्री/पति/पत्नी/सगा भाई–बहन तथा जम्मू कश्मीर से विस्थापित या उनके पुत्र/पुत्री/पति/पत्नी/सगा भाई–बहन	20 अंक
ड़.	अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी मान्यता प्राप्त खेल में प्रतिभाग करने पर	50 अंक
च.	अन्तर विश्वविद्यालय/राज्य/राष्ट्रीय स्तर पर पदक प्राप्त करने पर	40 अंक
छ.	शासन खेल फैडरेशन द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाग करने पर	30 अंक
ज.	राज्य/अन्तर विश्वविद्यालय स्तर पर मान्यता प्राप्त खेल में प्रतिभाग करने पर	25 अंक
झ.	अन्तर विश्वविद्यालय स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने पर	25 अंक
ञ.	अन्तर महाविद्यालय स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रतियोगिता में विजेता अथवा उप–विजेता	25 अंक
ट.	जिला शिक्षा अधिकारी/सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रतियोगिता प्रमाण पत्र जिला/मंण्डल स्तर पर प्रतिभाग के आधार पर	20 अंक
ठ.	अन्तर महाविद्यालय प्रतियोगिता में परिसर/महाविद्यालय/संस्थान की किसी खेल टीम का सदस्य होने पर	15 अंक

नोट– उपरोक्त श्रेणीयों में आने वाले अभ्यर्थीयों को अधिकतम 50 अंको का लाभ देय होगा। उपर्युक्त लाभ केवल न्यूनतम श्रेणियाँ प्रवेश हेतु देय होगा तथा उक्त के अंतर्गत प्राप्त अंको का लाभ किसी भी कक्षा में प्रवेश न्यूनतम निर्धारण हेतु नहीं जोड़ा जाएगा। यह केवल वरीयता निर्धारण हेतु प्रयोग में लाया जाएगा।

4. आरक्षण

4.1 प्रत्येक पाठ्यक्रम/कक्षा में अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़े वर्ग के प्रवेशार्थियों को आरक्षण की सुविधा उत्तरांचल शासन के शासनादेश संख्या 1144/कार्मिक–2–2001–53(1)/2001 द्वारा निर्धारित नीति एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के प्रवेशार्थियों को आरक्षण की सुविधा उत्तराखण्ड शासन, उच्च शिक्षा अनुभाग–4 के पत्रांक 1022/XXIV(4)/2019–01(03)/2019 दिनांक 30 जुलाई 2019 के अनुसार मान्य होगी जो कि निम्नवत् है। अनुसूचित जाति 19 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति 4 प्रतिशत, अन्य पिछड़े वर्ग 14 प्रतिशत एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 10 प्रतिशत, इसके अतिरिक्त उपरोक्त श्रेणियों एवं सामान्य श्रेणी के प्रवेशार्थियों में निम्न प्रकार से क्षैतिज (हॉरिजोन्टल) आरक्षण देय होगा– महिला 30 प्रतिशत, भूतपूर्व सैनिक 5 प्रतिशत, दिव्यांग 05 प्रतिशत, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी आश्रित –02 प्रतिशत।

आरक्षण हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र की स्व–प्रमाणित प्रतिलिपि अवश्य संलग्न करें तथा मूल प्रमाण पत्र प्रवेश के समय प्रवेश समिति के सम्मुख प्रस्तुत करें। आरक्षण केवल उत्तराखण्ड राज्य के

अभ्यर्थियों के लिए ही मान्य होगा।

4.2 प्रत्येक नवीन पाठ्यक्रम/कक्षा में प्रवेश हेतु अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम अर्हता अंकों में अधिकतम 5 अंकों की छूट दी जायेगी। बशर्ते विश्वविद्यालय द्वारा किसी पाठ्यक्रम/कक्षा हेतु न्यूनतम अंक निर्धारित न किये हों।

5. अध्ययन पाठ्यक्रम

विषय चयन सम्बन्धित सूचना पढ़कर ही विषयों का चयन करें। गलत विषय चयन करने के पश्चात् होने वाली हानि का उत्तरदायित्व केवल छात्रों का ही होगा।

विशिष्ट मूल एवं ऐच्छिक विषय (Discipline Specific Core)

5.1 ऐसे विद्यार्थी जो 03 डी.एस.सी. पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेंगे उन्हें प्रवेश के समय एक संकाय (कला, वाणिज्य आदि) का चयन करना होगा। विद्यार्थी को महाविद्यालय में विषयों की उपलब्धता के आधार पर नियमानुसार विषय चयन की सुविधा होगी।

5.2 DSC/DSE/GE किसी भी विषय में 04 क्रेडिट का होगा।

5.3 बहुविषयकता (Multidisciplinary) सुनिश्चित करने के लिए स्नातक स्तर पर सामान्य ऐच्छिक (GE) समस्त विद्यार्थियों को किसी भी चौथे विषय (उसके द्वारा लिए गए तीन कोर विषयों के अतिरिक्त) स्ट्रक्चर में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप लेना होगा। सामान्य ऐच्छिक का चुनाव विश्वविद्यालय/महाविद्यालय/संस्थान में सचालित विषयों के अनुरूप किया जाएगा। चुने हुए सामान्य ऐच्छिक (GE) की कक्षाएं संकाय में संचालित उसी कोर्स की कक्षाओं के साथ होंगी तथा उसकी परीक्षा भी उसी के साथ संचालित की जाएगी।

5.4 **ए.ई.सी. क्षमता संवर्धन पाठ्यक्रम (Ability Enhancement Course):** विद्यार्थी को प्रथम दो वर्षों में चार क्षमता संवर्धन पाठ्यक्रम पूर्ण करना अनिवार्य होगा। यह पाठ्यक्रम प्रत्येक सेमेस्टर में 02 क्रेडिट का होगा।

5.5. **एस.ई.सी.-कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम (Skill Enhancement Course):** स्नातक स्तर के प्रत्येक विद्यार्थी को प्रथम तीन वर्षों (06 सेमेस्टर्स) के प्रत्येक सेमेस्टर में 02 क्रेडिट का एक-एक कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित Pool/ Recognized online plateforms से पूर्ण करना होगा। विद्यार्थी यदि प्रवेश के समय प्रगतिशील स्वभाव के कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम का चयन करता है तथा सेमेस्टर पूर्ण करने के उपरांत वह उसे परिवर्तित करना चाहता है तो उसे ऐसे कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम का चयन करना होगा जो कि प्रगतिशील स्वभाव का न हो। प्रत्येक महाविद्यालय/संस्थान अपनी आंतरिक शैक्षणिक नीतियों एवं संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार उपरोक्त तय करेंगे।

5.6. **वी.ए.सी.-मूल्य योजन पाठ्यक्रम (Value Added Course):** स्नातक स्तर के प्रत्येक विद्यार्थी को प्रथम दो वर्षों (04 सेमेस्टर्स) के प्रत्येक सेमेस्टर में 02 क्रेडिट का एक-एक मूल्य योजन पाठ्यक्रम पूर्ण करना होगा। विद्यार्थी को मूल्य योजन पाठ्यक्रम के अन्तर्गत प्रथम वर्ष के प्रथम सेमेस्टर में पर्यावरण विषय (Environment) का अध्ययन करना अनिवार्य होगा।

5.7. आई.ए.पी.सी. (इन्टर्नशिप/प्रोजेक्ट/अप्रेन्टिसशिप/कम्यूनिटी आउटरीच) फील्डवर्क पाठ्यक्रम इन्टर्नशिप/ प्रोजेक्ट/ अप्रेन्टिसशिप/कम्यूनिटी आउटरीच/फील्डवर्क पाठ्यक्रम को तृतीय वर्ष के प्रत्येक सेमेस्टर (02 सेमेस्टर) में पूर्ण करना अनिवार्य है। प्रत्येक विद्यार्थी को तृतीय वर्ष के प्रत्येक सेमेस्टर में 04 क्रेडिट का IAPC/Fieldwork से संबधित एक पाठ्यक्रम पूर्ण करना होगा।

इसके अतिरिक्त किसी विषय में मेजर प्राप्त करने के लिए विद्यार्थी को FYUP के अन्तर्गत 80 क्रेडिट अर्जित करने की आवश्यकता होती है। यदि विद्यार्थी को विषय विशिष्ट मूल (DSC) को परिवर्तित किए जाने का विकल्प उपलब्ध कराया जाता है तो विद्यार्थी का किसी भी मूल विषय में मेजर पूर्ण किया जाना संभव नहीं होगा, जिससे क्रेडिट संरचना बाधित होगी और शैक्षणिक प्रगति प्रभावित होगी।

अतः किसी भी विद्यार्थी का किसी भी सेमेस्टर में अपने प्रवेश के समय आबंटित किए गए विषय विशिष्ट मूल (DSC) में परिवर्तन किया जाना संभव नहीं होगा।

5.8. Minor Project: स्नातक स्तर पर द्वितीय वर्ष में विद्यार्थियों को किसी एक सेमेस्टर में एस.ई.सी. (SEC) के अन्तर्गत चयनित पाठ्यक्रमों में एक लघु शोध प्रबंध पूर्ण करना होगा।

5.9 Data Science: कला वर्ग के विद्यार्थियों को स्नातक स्तर पर द्वितीय वर्ष के चतुर्थ सेमेस्टर में एस.ई.सी. (SEC) के अन्तर्गत डाटा साइंस से संबंधित किसी एक पाठ्यक्रम का अध्ययन करना आवश्यक होगा।

(क) स्नातक पाठ्यक्रम

5.10 कला स्नातक पाठ्यक्रम – बी.ए. उपाधि हेतु। **(प्रति विषय 120 सीट):** 1. हिन्दी साहित्य 2. संस्कृत साहित्य 3. अंग्रेजी साहित्य 4. इतिहास 5. राजनीति विज्ञान 6. अर्थशास्त्र 7. समाजशास्त्र 8. शिक्षाशास्त्र 9. भूगोल 10. गृह विज्ञान, 11. चित्रकला।

निम्न तालिका के अनुसार विषयों का चयन किया जा सकता है–

Group A	Group B	Group C	Group D	Group E	Group F
अंग्रेजी साहित्य (English Literature)	ड्राइंग एवं पेंटिग (Drawing & Painting)	भूगोल (Geography)	शिक्षाशास्त्र (Education)	हिन्दी साहित्य (Hindi Literature)	राजनीति विज्ञान (Political Science)
संस्कृत साहित्य (Sanskrit Literature)	अर्थशास्त्र (Economics)	इतिहास (History)	समाजशास्त्र (Sociology)		
	गृह विज्ञान (Home Science)				

5.11 वाणिज्य स्नातक पाठ्यक्रम– बी.कॉम. उपाधि हेतु (60 सीट)

5.12 अभ्यर्थी एन.ई.पी. के अन्तर्गत त्रिवर्षीय स्नातक पाठयक्रम में न्यूनतम– 7.5 या उससे अधिक (132 क्रैडिटस अर्जित किये हो) से उत्तीर्ण होने पर FYUP के अन्तर्गत स्नातक स्तर पर चतुर्थ वर्ष में प्रवेश के लिए अर्ह होगा।

(ख) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम

5.13 कला स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम –एम.ए. उपाधि हेतु (प्रति विषय 25 सीट)

1. हिन्दी, 2. अंग्रेजी, 3. राजनीति विज्ञान, 4. इतिहास, 5. शिक्षाशास्त्र।

(ग) व्यवसायिक पाठ्यक्रम

5.14 **व्यावसायिक पाठ्यक्रम (Professional Course) प्रति विषय 60 सीट**

1. B.Lib. & Information Science, 2. PG Diploma in Yogic Science, 3.PG Diploma in Journalism & Mass Communication, 4. Diploma in Hotel Management

6. शुल्क विवरण तथा जमाराशि एवं उनकी वापसी

6.1	प्रवेश फॉर्म शुल्क	₹	500/-	(प्रति सेमेस्टर)
6.2	परीक्षा फार्म शुल्क	₹	200/-	(प्रति सेमेस्टर)
6.3	परिचय पत्र शुल्क	₹	100/-	प्रतिवर्ष
6.4	छात्र कल्याण शुल्क	₹	200/-	प्रतिवर्ष
6.5	क्रीड़ा शुल्क	₹	400/-	प्रतिवर्ष
6.6	पत्रिका शुल्क	₹	300/-	प्रतिवर्ष
6.7	स्नातक बी.ए. (सामान्य विषय)	₹	12000/-	प्रतिवर्ष
6.8	स्नातक बी.ए. (प्रयोगात्मक विषय)	₹	15000/-	प्रतिवर्ष
6.9	स्नातक बी.कॉम	₹	12000/-	प्रतिवर्ष
6.10	स्नातकोत्तर एम.ए. (सामान्य विषय)	₹	15000/-	प्रतिवर्ष
6.11	स्नातकोत्तर एम.ए. (प्रयोगात्मक विषय)	₹	20000/-	प्रतिवर्ष
6.12	B.Lib. & Information Science	₹	30000/-	प्रतिवर्ष
6.13	PG Diploma inYogic Science	₹	30000/-	प्रतिवर्ष
6.14	PG Diploma in Journalism & Mass Communication	₹	30000/-	प्रतिवर्ष
6.15	Diploma in Hotel Management	₹	30000/-	प्रतिवर्ष
6.16	प्रयोगशाला शुल्क (स्नातक पाठ्यक्रम)	₹	3000/-	प्रति विषय(प्रतिवर्ष)
6.17	प्रयोगशाला शुल्क (स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम)	₹	5000/-	प्रतिवर्ष
6.18	पुस्तकालय शुल्क (स्नातक पाठ्यक्रम)	₹	500/-	(प्रतिवर्ष)
	(स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम)	₹	500/-	(प्रतिवर्ष)
	(व्यावसायिक पाठ्यक्रम)	₹	1000/-	(प्रतिवर्ष)
6.19	विषय परिवर्तन शुल्क	₹	500/-	प्रति विषय
6.20	स्थानान्तरण प्रमाण पत्र शुल्क (टी.सी. एवं सी.सी.)	₹	200/-	

नोट: महाविद्यालय प्रबन्ध समिति द्वारा छात्र हित में लागू न्यूनतम शिक्षण शुल्क आदेश पृथक से जारी किया जाएगा। वशर्त ऐसे छात्र-छात्रा जिन्हें सरकारी/अन्य संस्था द्वारा शिक्षण शुल्क प्राप्त होता है ऐसे छात्रों को विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित महाविद्यालय का पूर्ण शिक्षण शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा। यह शर्त खेल कोटा के अन्तर्गत प्रवेशित छात्रों पर भी समान रूप से लागू होगा।

6.21 मूल अंकतालिका/स्थानान्तरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने से पूर्व कॉलेज की सभी देय राशियों, शुल्क जमा अथवा सम्पत्ति वापस करनी अनिवार्य होगी।

6.22 सत्र के मध्य में महाविद्यालय से स्थानान्तरण लेने पर छात्र को महाविद्यालय की सभी सम्पत्ति वापस करना अनिवार्य होगा।

7. प्रवेश शुल्क का भुगतान

7.1 प्रवेश फार्म शुल्क (प्राप्त करते समय) नगद देय होगा।

7.2 परिचय पत्र शुल्क शिक्षण शुल्क के साथ (अतिरिक्त) देय होगा।

7.3 छात्र कल्याण शुल्क, क्रीड़ा शुल्क एवं पत्रिका शुल्क शिक्षण शुल्क के साथ (अतिरिक्त) देय होगा।

7.4 प्रवेश शुल्क (शिक्षण शुल्क) उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक चालान के माध्यम से ही देय होगा।

7.5 परीक्षा शुल्क श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय नियमानुसार ऑनलाईन/ऑफलाईन (अतिरिक्त) देय होगा।

7.6 प्रत्येक छात्र–छात्रा को प्रवेश के लिए अधिसूचित तिथि से पूर्व तक एकमुश्त वार्षिक शुल्क जमा कराना अनिवार्य होगा। ऐसा न होने पर विद्यार्थी की प्रवेश स्वीकृति स्वत: ही निरस्त हो जाएगी।

7.7 **वीरगति प्राप्त सैनिकों के आश्रितों (पुत्र/पुत्री/पत्नी) और अनाथ (जिन छात्र–छात्राओं के माता और पिता नहीं हैं) को यदि वे अर्ह हो तो स्नातक, स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में सभी अभ्यर्थियों को नि:शुल्क प्रवेश दिया जायेगा। (इस हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र/ग्राम प्रधान द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र मान्य होगा)।**

7.8 शुल्क रसीद सुरक्षित रखें, क्योंकि संरक्षित–निधि (Security Money) वापस लेते समय इसे तत्संबंधित प्रार्थना पत्र के साथ कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा।

7.9 तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम्, सप्तम एवं अष्टम सेमेस्टर के प्रवेशार्थियों हेतु पूर्व सत्रों में जारी शुल्क नियमावली/व्यवस्था लागू होगी।

8. महाविद्यालय की सदस्यता

8.1 महाविद्यालय में छात्र–छात्राओं के प्रवेश तब तक अन्तिम नहीं माने जायेंगे जब तक वे प्राचार्य/उप–प्राचार्य / विभागाध्यक्ष, प्रवेश विभाग एवं अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित नहीं किये जाते हैं। सभी छात्र महाविद्यालय के सदस्य तब माने जायेंगे, जब उनका प्रवेश आवेदन प्राचार्य/ उप–प्राचार्य एवं अध्यक्ष द्वारा स्वीकार कर लिया जाये और उन्होंने महाविद्यालय शुल्क राशि तथा प्राचार्य द्वारा वांछित आवश्यक पत्रजात जमा कर दिये हो। किसी भी छात्र द्वारा महाविद्यालय में निर्धारित शुल्क जमा कर देना मात्र उसका महाविद्यालय में प्रवेश का दावा स्थापित नहीं कर देता।

8.2 यदि कोई छात्र–छात्रा गम्भीर बीमारी से पीड़ित हो जिसका सम्पर्क अन्य छात्र–छात्राओं के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो ऐसे प्रवेशार्थी को पुन: प्रवेश नहीं दिया जायेगा। यदि कोई छात्र–छात्रा कॉलेज की कोई सम्पति, प्रयोगशाला उपकरण या कोई अन्य सामान वापस नहीं करता अथवा उसके द्वारा खोये किसी सामान की पूर्ति अथवा उसके मूल्य का भुगतान नहीं करता तब महाविद्यालय प्राचार्य/उप–प्राचार्य एवं अध्यक्ष को यह अधिकार होगा कि वह ऐसे छात्र को विश्वविद्यालय परीक्षा में बैठने से वंचित करने की संस्तुति विश्वविद्यालय को करें।

9. विश्वविद्यालय नामांकन

9.1 ऐसे समस्त छात्रों को जो श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय टिहरी गढ़वाल में नामांकित (एनरोल्ड) नहीं हैं को अपना नामांकन (एनरोलमेन्ट) कराना अनिवार्य होगा। विश्वविद्यालय द्वारा लागू शुल्क तथा प्रव्रजन प्रमाण पत्र (माईग्रेशन सर्टिफिकेट) जहाँ आवश्यक हो, का आवेदन पत्र प्राचार्य के माध्यम से कुलसचिव, श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय को प्रेषित किया जायेगा। यह छात्र–छात्रा का उत्तरदायित्व है कि वह नामांकन आवेदन पत्र भरें तथा मूल प्रव्रजन प्रमाण–पत्र परीक्षा आवेदन फार्म के साथ जमा करें ।

10. उपस्थिति नियम

10.1 स्नातक, स्नातकोत्तर एवं व्यावसायिक स्तर के सभी पाठ्यक्रमों में सेमेस्टर सिस्टम लागू है। शासनादेश संख्या 315/XXIV-C-1/2025-12(10)2024 दिनांक 27 मार्च, 2025 एवं विश्वविद्यालय आदेश संख्या 5694/प्रशासन/एसडीएसयूवी /2025 दिनांक 28 मार्च, 2025 के अनुसार कोई भी छात्र–छात्रा विश्वविद्यालय की किसी भी परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति तब तक प्राप्त नहीं कर सकेगा जब तक वह व्याख्यान और ट्यूटोरियल कक्षाओं में पृथक–पृथक 75 प्रतिशत उपस्थिति पूरी नहीं करता। प्रयोगात्मक विषयों के शिक्षण कार्य अवधि में 75 प्रतिशत उपस्थिति अपेक्षित है।

10.2 **निम्नलिखित स्थितियों में पूरे सत्र में किसी विषय में व्याख्यान और सेमिनार/प्रयोगात्मक कक्षाओं में पृथक से 5 प्रतिशत की छूट प्राचार्य द्वारा दी जायेगी तथा 10 प्रतिशत की छूट माननीय कुलपति द्वारा दी जा सकती है।**

1. (i) विद्यार्थी की लम्बी एवं गम्भीर बीमारी में कक्षा में सम्मिलित होने के 15 दिनों के अन्दर यदि विद्यार्थी ने चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया हो।

   (ii) इसी के समकक्ष किसी अत्यन्त विशेष परिस्थिति में समुचित कारण देने पर।

2. विभागाध्यक्ष की संस्तुति पर स्नातक छात्र–छात्राओं को विशेष अध्ययन के निमित्त किसी अन्य विश्वविद्यालय, संस्थान तथा उच्च अध्ययन के लिए किसी केन्द्र में व्याख्यान, प्रयोगात्मक कार्य के लिए कुलपति द्वारा 6 सप्ताह तक की अवधि की अनुमति दिये जाने पर कुलपति द्वारा उपस्थिति न्यूनता का मार्जन किया जा सकेगा। इसके लिए विश्वविद्यालय में अपनी उपस्थिति सूचित करने के लिए एक सप्ताह के भीतर विद्यार्थी को उस संस्थान के, जहाँ उस विद्यार्थी ने अध्ययन किया है अध्ययन कक्षाओं में उपस्थिति, प्रयोगात्मक कार्य, पुस्तकालय में कार्य करने की तिथियों के निर्देश सहित उपस्थिति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

3. विश्वविद्यालय/महाविद्यालय द्वारा आयोजित एन.सी.सी. शिविर, खेलकूद के समारोह, राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर, शैक्षणिक पर्यटन में भाग लेने अथवा भारतीय सशस्त्र सेनाओं में भर्ती के लिए साक्षात्कार के निमित्त जाने पर उपस्थिति न्यूनता मार्जन कर दिया जायेगा, बशर्ते सम्बन्धित सक्षम अधिकारी का हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र अनुपस्थित रहने के एक सप्ताह के भीतर प्रस्तुत किया गया हो।

नोटः बी.ए., बी.कॉम, बी.लिब., एम.ए. तथा डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में उपस्थिति प्रवेश शुल्क जमा करने की तिथि से गिनी जायेगी।

11. परिचय पत्र

11.1 सभी छात्र-छात्राओं को निर्धारित परिचय पत्र शुल्क, प्रवेश शुल्क के साथ जमा कराकर स्वयं परिचय-पत्र मुख्य नियन्ता कार्यालय से प्राप्त करना अनिवार्य होगा। छात्र हर समय अपना परिचय पत्र अपने पास रखें और जब भी महाविद्यालय अधिकारी उसे देखने की मांग करें तुरन्त दिखायें। यदि परिचय-पत्र खो जायें तो इसकी प्रथम सूचना (तहरीर) पास के पुलिस थाने, चौकी या राजस्व पुलिस में अवश्य करानी होगी। दूसरा परिचय पत्र महाविद्यालय कार्यालय से 100 रुपये शुल्क देकर प्राप्त किया जा सकता है। इस हेतु आवेदन प्रथम सूचना रिपोर्ट (F.I.R.) की प्रमाणित प्रतिलिपि फोटोग्राफ व आवेदन पत्र के साथ मुख्य नियन्ता कार्यालय में प्रस्तुत करें। इस विषय में मुख्य नियन्ता का निर्णय ही अन्तिम होगा। छात्र-छात्राएं अपना परिचय पत्र मुख्य नियन्ता कार्यालय से, व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर प्राप्त करें। किसी छात्र-छात्रा का परिचय-पत्र कोई अन्य छात्र/अभिभावक प्राप्त नहीं कर सकेगा।

12. छात्रवृत्तियाँ एवं शिक्षण शुल्क में रियायतें/छूट

12.1 उच्च शैक्षिक योग्यताधारी निर्धन छात्रों को सरकार द्वारा निर्धारित कोटे के अंतर्गत अर्द्ध एवं पूर्ण रूपेण शिक्षण शुल्क में छूट प्रदान की जाती है। महाविद्यालय में सभी प्रकार की शासकीय छात्रवृत्तियां प्राप्य हैं। शिक्षण शुल्क में छूट एवं छात्रवृत्ति, छात्र द्वारा अनुशासन भंग करने, परीक्षा में सम्मिलित न होने, परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने, अध्ययन में असंतोष जनक प्रगति अथवा परीक्षा में अनुचित साधन प्रयोग करने की दशा में निलंबित की जा सकती है।

12.2 छात्रवृत्ति या वजीफा पाने वाले छात्र शिक्षण शुल्क में छूट हेतु हकदार नहीं होंगे। यदि किसी छात्र को शिक्षण शुल्क में छूट मिल रही है और उसे छात्रवृत्ति भी मिल रही है तो इस स्थिति में, जिस तिथि से उसे छात्रवृत्ति मिल रही है उसी तिथि से शिक्षण शुल्क में छूट समाप्त मानी जाएगी।

12.3 महाविद्यालय में स्नातक एवं स्नातकोत्तर (बी.ए-2, बी.कॉम-2 एवं एम.ए-1) पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत मेधावी छात्र-छात्राएं जो अपनी कक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करते हैं ऐसे पाँच (2+2+1) छात्र-छात्राओं को मेडल, प्रमाण पत्र एवं छात्रवृत्ति के रूप में, 2100/- की धनराशि शैक्षणिक सत्र 2024-25 से श्री साईं दास तलवाड़ जी की स्मृति में प्रोफेसर (डॉ.) के.एल. तलवाड़ जी के सौजन्य से देय होगी।

12.4 शिक्षण शुल्क में रियायत/छूट के लिए यथा समय निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन अवश्य करें।

12.5 महाविद्यालय खेल कोटा के अन्तर्गत प्रवेशित छात्रों को शिक्षण शुल्क में शत-प्रतिशत छूट देय है, अन्य सभी शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा।

13. अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्र-छात्राओं हेतु शुल्क में छूट का प्रावधान

13.1 अनुसूचित जाति एवं जनजाति के जो छात्र-छात्राएं उत्तराखण्ड राज्य के मूल निवासी हैं केवल उन्हें ही शिक्षण शुल्क में छूट का लाभ प्राप्त होगा।

13.2 शिक्षण शुल्क में छूट से संबंधित अन्य नियम भारत सरकार की ई-स्कॉलरशिप वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। जिसमें ऑनलाइन जाति प्रमाण पत्र एवं आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है।

13.3 अनुसूचित जाति, जनजाति व अन्य पिछड़े वर्ग के छात्र-छात्राओं द्वारा छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र ऑनलाइन प्रस्तुत किया जायेगा।

13.4 महाविद्यालय प्रबन्ध समिति द्वारा सभी प्रवेशार्थियों हेतु विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शिक्षण शुल्क में सशर्त 50 प्रतिशत की छूट देय है यह व्यवस्था सभी वर्गों के छात्रों पर समान रूप से लागू होगी।

14. पुस्तकालय एवं वाचनालय

14.1 महाविद्यालय में पूर्णरूपेण, सज्जित पुस्तकालय है जिसमें 5000 से अधिक पुस्तकें उपलब्ध हैं तथा दैनिक समाचार पत्र, साप्ताहिक, पाक्षिक व मासिक पत्र-पत्रिकाएँ भी उपलब्ध रहती हैं।

14.2 सभी छात्र-छात्राओं को प्रतिवर्ष निर्धारित पुस्तकालय शुल्क जमा कर (स्वयं उपस्थित होकर) लाइब्रेरी कार्ड बनवाना अनिवार्य होगा। पुस्तकालय शुल्क वापसी देय नहीं होगा।

14.3 किसी छात्र-छात्रा द्वारा पुस्तकें वापस न करने अथवा क्षतिग्रस्त स्थिति में वापस करने की दशा में पुस्तक का मूल्य जमा करना अनिवार्य होगा।

14.4 पुस्तकालय नियमावली सभी पुस्तकालय सदस्यों पर लागू होगी।

15. प्रयोगशालायें

महाविद्यालय में संचालित प्रयोगात्मक विषय

15.1 भूगोल, शिक्षा शास्त्र, चित्रकला, गृह विज्ञान, पत्रकारिता व जनसंचार विभाग एवं होटल प्रबन्धन की पूर्ण सज्जित प्रयोगशालाएँ हैं जहाँ प्रायोगिक अभ्यास करने के लिए पर्याप्त स्थान और सुविधाएं हैं।

16. रैगिंग पर प्रतिबन्ध

16.1 महाविद्यालय में किसी भी प्रकार की रैगिंग पूर्णतया निषिद्ध है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार कोई छात्र-छात्रा रैगिंग करते या इसके लिए किसी को प्रेरित करते हुए पाया गया/पायी गयी तो उसके विरुद्ध नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। इस आशय का शपथ पत्र प्रवेश विवरणिका में दिये गये शपथ पत्र (संलग्न है) पर प्रवेशार्थी तथा उसके अभिभावक को हस्ताक्षर करके प्रवेश आवेदन पत्र के साथ जमा करना आवश्यक है।

16.2 रैगिंग एक गैर कानूनी गतिविधि घोषित की गई है। रैगिंग में लिप्त विद्यार्थी को निष्कासित कर दिया जाएगा और वह कानून के दायरे में आ जाएगा। प्रवेश लेते समय प्रत्येक विद्यार्थी को यू॰जी॰सी॰ की वेबसाइट पर एंटी रैगिंग सम्बन्धी पंजीकरण करवाना अनिवार्य होगा, जिसकी एक प्रति महाविद्यालय में भी जमा करनी होगी।

16.3 रैगिंग से अभिप्राय

किसी भी छात्र द्वारा, चाहे वह वरिष्ठ, समकक्ष या कनिष्ठ वर्ग का हो, किसी अन्य छात्र विशेषकर नवप्रवेशित या कनिष्ठ छात्र के प्रति बोले गये या लिखित शब्दों द्वारा अथवा किसी कृत्य के माध्यम से किया गया कोई भी अव्यवस्थित आचरण, जिसका प्रभाव उसे चिढ़ाने, अपमानित करने, अशिष्ट व्यवहार करने या उद्दण्ड एवं अनुशासनहीन गतिविधियों में संलिप्त करने के रूप में हो, तथा जिससे उसे लज्जा, कठिनाई, मानसिक पीड़ा, भय या आंशका उत्पन्न हो अथवा उत्पन्न होने की सम्भावना हो, रैगिंग कहलाएगा।

इसी प्रकार किसी छात्र को ऐसा कोई कार्य करने के लिए बाध्य करना या करवाना, जिसे वह सामान्य परिस्थितियों में न करता हो, और जिससे उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुँचे या उसके शारीरिक अथवा मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े, रैगिंग माना जाएगा।

उपरोक्त किसी भी कृत्य को यदि कोई छात्र, चाहे वह उसी कक्षा का कनिष्ठ या वरिष्ठ वर्ग का हो, करता है, तो वह रैगिंग की श्रेणी में आएगा।

16.4 रैगिंग के आधार

- रैगिंग करने के लिए उकसाना।
- रैगिंग करने के लिए अपराध षड्यंत्र।
- रैगिंग हेतु गैरकानूनी सभा एवं दंगा करना।
- रैगिंग के दौरान सार्वजनिक उपद्रव करना।
- रैगिंग के माध्यम से शालीनता एवं नैतिकता का उल्लंघन।
- रैगिंग के दौरान शारीरिक नुकसान एवं गम्भीर चोट।
- अनुचित रूप से प्रतिबन्धित करना।
- अनुचित रूप से बंधक बनाना।
- अपराधिक बल का प्रयोग करना ।
- रैगिंग की परिभाषा से जनित समस्त अपराध।
- जबरन वसूली।
- आपराधिक अतिक्रमण।
- सम्पत्ति के विरूद्ध अपराध।
- आपराधिक रूप से धमकाना।
- रैगिंग के शिकार अथवा शिकारों में उपरोक्त में से किसी एक अथवा सभी कृत्यों को करने का प्रयास। साथ ही आक्रमण अथवा यौन अपराध या अप्राकृतिक अपराध।

16.5 दण्ड

संस्थान की रैगिंग निरोधक समिति के अभिमत में अपराध की स्थापित प्रकृति एवं गम्भीरता के आधार पर संस्थागत स्तर पर रैगिंग के दोषी पाये गये व्यक्तियों को दिये दण्ड निम्न में कोई एक अथवा उसका समूह हो सकता है।

- प्रवेश निरस्त किया जाना।
- छात्रवृत्ति तथा अन्य लाभ रोके रखना अथवा निरस्त करना।
- कक्षा से निलम्बन।
- किसी भी परीक्षा अथवा मूल्यांकन प्रक्रिया से वंचित करना।
- परीक्षा परिणाम रोकना।
- छात्रावास से निष्कासन।
- निरस्तीकरण।
- संस्थान से एक से चार सेमेस्टर अवधि हेतु निष्कासन।
- किसी भी क्षेत्रीय, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय संस्थान अथवा युवा महोत्सव के प्रतिनिधित्व का निषेध।
- संस्थान से निष्कासन एवं तदुपरान्त अन्य किसी संस्थान में प्रवेश से वंचित किया जाना।
- रु. 25 हजार का जुर्माना।
- रैगिंग करने वाले छात्र/छात्राओं की पहचान न हो पाने की स्थिति में सम्भावित रैगिंगकर्ताओं पर सामुदायिक दबाव बनाने हेतु संस्थान द्वारा सामुहिक दण्ड का प्रयोग किया जायेगा।

17. वेबसाइट

17.1 www.smrpgcollege.in

17.2 सभी छात्र-छात्राएं महाविद्यालय की सम्पूर्ण गतिविधियों एवं कार्यालय आदेश, इत्यादि की जानकारी महाविद्यालय वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं।

18. ई-मेल

smrpgcollege@gmail.com
info@smrpgcollege.in
chairman@smrpgcollege.in
director@smrpgcollege.in
campoffice@smrpgcollege.in
dbsgp@smrpgcollege.in
tmjb@smrpgcollege.in
smracademy@smrpgcollege.in
principal@smrpgcollege.in
admission@smrpgcollege.in
exam@smrpgcollege.in
library@smrpgcollege.in

19. स्मार्ट कक्षाएं

19.1 महाविद्यालय में छात्र–छात्राओं की सुविधा एवं बेहतर शिक्षण व्यवस्था के लिए प्रत्येक कक्षा–कक्ष में डिजिटल स्मार्ट बोर्ड लगाए गए हैं। इन स्मार्ट बोर्डों के माध्यम से विषयों को चित्र, वीडियो एवं अन्य डिजिटल माध्यमों से सरल और रोचक तरीके से समझाया जाता है। इससे विद्यार्थियों को कठिन विषयों को समझने में आसानी होती है तथा पढ़ाई अधिक प्रभावी और आधुनिक बनती है। यह व्यवस्था शिक्षण प्रक्रिया को तकनीकी रूप से सशक्त बनाकर छात्र–छात्राओं के सीखने के स्तर को बेहतर बनाने में सहायक है।

महाविद्यालय में 13 विभागों के अंतर्गत विभिन्न समितियाँ एवं प्रकोष्ठ स्थापित किए गए हैं, जिनका उद्देश्य छात्र–छात्राओं को अनुशासित, सुरक्षित, समावेशी तथा उच्च गुणवत्ता वाला शैक्षणिक वातावरण प्रदान करना है–

20. मानव संसाधन विभाग

20.1 **शिक्षक एवं कार्मिक नियुक्ति, सेवा अभिलेख समिति–** यह समिति महाविद्यालय में शिक्षकों एवं अन्य कार्मिकों की आवश्यकता के अनुसार नियुक्ति प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी एवं नियमों के अनुरूप संचालित करती है तथा यह सुनिश्चित करती है कि योग्य एवं उपयुक्त व्यक्तियों का चयन हो। साथ ही, यह समिति सभी कर्मचारियों के सेवा अभिलेखों का सही ढंग से रख–रखाव करती है एवं उनके कार्यों की नियमित निगरानी करती है। समय–समय पर कार्यों का मूल्यांकन कर उनकी जिम्मेदारी एवं जवाबदेही भी सुनिश्चित की जाती है, जिससे महाविद्यालय का कार्य सुचारु रूप से संचालित हो सके।

20.2 **लोक सूचना एवं आरटीआई समिति–** यह समिति महाविद्यालय में पारदर्शिता, उत्तरदायित्व एवं जवाबदेह प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए कार्य करती है। समिति सूचना के अधिकार से संबंधित आवेदनों के समयबद्ध निस्तारण एवं प्रभावी निष्पादन को सुनिश्चित करती है। साथ ही, यह समिति आरटीआई जागरूकता कार्यक्रम, कार्यशालाएँ एवं संवाद सत्र आयोजित कर छात्र–छात्राओं को उनके अधिकारों एवं प्रक्रियाओं के प्रति जागरूक बनाती है।

21. वित्त एवं लेखा विभाग

21.1 **वित्त समिति–** यह समिति संस्थान में सुचारु वित्तीय प्रबंधन सुनिश्चित करती है। यह छात्र–छात्राओं से लिए जाने वाले शुल्क एवं अन्य मदों के निर्धारण का अनुमोदन करती है तथा उनके पारदर्शी और व्यवस्थित संकलन की व्यवस्था करती है। साथ ही, यह समिति महाविद्यालय के वार्षिक बजट के अनुसार वित्तीय योजनाओं का निर्माण, संचालन एवं समय–समय पर मूल्यांकन करती है।

21.2 **लेखा समिति–** यह समिति संस्थान की सभी आय–व्यय का लेखा–जोखा रखती है। यह प्राप्त धन और खर्च का रिकॉर्ड तैयार करती है, उनका मिलान करती है तथा सभी अभिलेख सुरक्षित रखती है। साथ ही, समय–समय पर सरल वित्तीय विवरण तैयार कर पारदर्शिता बनाए रखती है।

21.3 **शुल्क निर्धारण समिति–** यह समिति श्री देव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित शुल्क के आधार पर प्रत्येक वर्ष शुल्क में छूट की नीति निर्धारित करती है। छात्र हितों को ध्यान में रखते हुए यह छूट नवीन प्रवेश लेने वाले सभी वर्गों के छात्रों पर समान रूप से लागू होती है तथा पाठ्यक्रम पूर्ण होने तक प्रभावी रहती है।

21.4 **छात्रवृत्ति समिति–** यह समिति सभी वर्गों के छात्र–छात्राओं की छात्रवृत्ति प्रक्रियाओं के सुचारु संचालन हेतु कार्य करती है। यह समिति सरकारी एवं अन्य संस्थाओं के माध्यम से प्राप्त छात्रवृत्तियों सहित मेधावी छात्रवृत्ति के लिए आवेदन,

सत्यापन एवं वितरण की व्यवस्था सुनिश्चित करती है। समिति का प्रयास अधिकतम छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति का लाभ दिलाना है।

21.5 **परिवहन एवं आवास व्यवस्था समिति**- यह समिति महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं हेतु परिवहन एवं आवास संबंधी व्यवस्थाओं का संचालन करती है और छात्रों को सुरक्षित, सुविधाजनक एवं समयबद्ध परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के साथ साथ छात्रावास एवं अतिथि आवास की व्यवस्थाओं को नियमानुसार संचालित करती है। साथ ही, समिति राज्य सरकार की नि:शुल्क यात्रा योजना के अंतर्गत छात्राओं के यात्रा कार्ड बनवाने की प्रक्रिया का समन्वय करती है, ताकि उन्हें समय पर सुविधा प्राप्त हो सके।

21.6 **स्टॉक वेरीफिकेशन समिति**- यह समिति महाविद्यालय की समस्त चल एवं अचल संपत्तियों का (वार्षिक) भौतिक सत्यापन कर उनके अभिलेखों एवं वास्तविक स्थिति का परीक्षण सुनिश्चित करती है।

22. मूल्यांकन, अनुशासन एवं गुणवत्ता विभाग

22.1 **आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ (IQAC).** आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन प्रकोष्ठ **(IQAC)** महाविद्यालय की शैक्षणिक एवं प्रशासनिक गुणवत्ता को बनाए रखने तथा उसमें निरंतर सुधार सुनिश्चित करने के लिए कार्य करता है। यह प्रकोष्ठ राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (NAAC) के दिशा-निर्देशों के अनुरूप संस्थान की आंतरिक गुणवत्ता को सुदृढ़ करता है तथा मान्यता प्रक्रिया के लिए आवश्यक आधार तैयार करता है।

22.2 **रैगिगं निरोधक समिति**- यह समिति परिसर में रैगिंग की घटनाओं की रोकथाम सुनिश्चित करती है तथा महाविद्यालय को पूर्णत: रैगिंग मुक्त बनाए रखने हेतु आवश्यक कदम उठाती है। यह समिति छात्रों के बीच सुरक्षित सम्मानजनक एवं अनुकूल शैक्षणिक वातावरण बनाए रखने के लिए निगरानी करती है, रैगिंग से संबंधित शिकायतों की प्राप्ति एवं जांच करती है तथा उनके त्वरित एवं निष्पक्ष निवारण की व्यवस्था सुनिश्चित करती है।

22.3 **जेंडर सेंसिटाइजेशन एवं महिला शिकायत निवारण समिति**- यह समिति महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्राओं एवं कार्यरत महिला कर्मियों से संबंधित मानसिक, सामाजिक एवं शारीरिक समस्याओं/उत्पीड़न से जुड़ी शिकायतों के निवारण हेतु कार्य करती है। यह समिति महाविद्यालय परिसर में लैंगिक समानता सुनिश्चित करने, सुरक्षित एवं सम्मानजनक शैक्षणिक वातावरण बनाए रखने तथा लैंगिक उत्पीडन की रोकथाम के लिए सक्रिय रूप से कार्य करती है। साथ ही, यह छात्रों शिक्षकों एवं कर्मचारियों के मध्य लैंगिक संवेदनशीलता को बढ़ावा देती है तथा प्राप्त शिकायतों का निष्पक्ष एवं समयबद्ध निवारण सुनिश्चित करती है।

22.4 **सुझाव एवं शिकायत निवारण समिति**- यह समिति छात्र-छात्राओं, शिक्षकों एवं शिक्षणेतर कर्मचारियों से प्राप्त सुझावों एवं शिकायतों की प्राप्ति, समीक्षा एवं निष्पक्ष, गोपनीय तथा समयबद्ध निवारण सुनिश्चित करती है। साथ ही प्राप्त सुझावों का विश्लेषण कर उन्हे महाविद्यालय की नीतियों, कार्यप्रणाली एवं शैक्षणिक वातावरण में सुधार हेतु लागू करने की संस्तुति करती है।

22.5 **चिकित्सा सहायक समिति**- यह समिति परिसर में स्वास्थ्य संबंधी आकस्मिक स्थितियों में त्वरित सहायता एवं समुचित समन्वय सुनिश्चित करती है। यह समिति छात्र-छात्राओं, शिक्षकों एवं शिक्षणेतर कर्मचारियों को प्राथमिक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराती है।

22.6 **मुख्य नियंता मंडल**- नियंता मंडल महाविद्यालय परिसर में अनुशासन, मर्यादा और अच्छे व्यवहार की निगरानी करता है। यह समय-समय पर जांच अभियान चलाता है और सुनिश्चित करता है कि सभी छात्र-छात्राएं निर्धारित गणवेश

(ड्रेस) एवं परिचय पत्र पहनकर आएं तथा कोई बाहरी व्यक्ति बिना अनुमति परिसर में प्रवेश न करे। यह समिति अनुशासन से जुड़े मामलों की जांच कर आवश्यक कार्यवाही करती है।

22.7 **एंटी ड्रग क्लिनिक समिति**– यह समिति महाविद्यालय के छात्रों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करने तथा परिसर को नशामुक्त बनाए रखने के लिए कार्य करती है। यह जागरूकता कार्यक्रमों एवं परामर्श सत्रों के माध्यम से छात्रों को नशीले पदार्थों से दूर रहने के लिए प्रेरित करती है। साथ ही, परिसर में मादक द्रव्यों के सेवन एवं प्रचलन को रोकने हेतु सतत निगरानी एवं आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करती है।

22.8 **अनुसूचित जाति, अनु. जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ**– यह प्रकोष्ठ महाविद्यालय में अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के शैक्षणिक, सामाजिक एवं समग्र विकास के लिए कार्य करता है। यह उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने, आवश्यक मार्गदर्शन एवं सहयोग प्रदान करने तथा उनके उत्थान के लिए विभिन्न योजनाओं एवं गतिविधियों का संचालन सुनिश्चित करता है।

22.9 **गणवेश समिति**– यह समिति महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के लिए निर्धारित गणवेश व्यवस्था को सुव्यवस्थित एवं अनुशासित रूप से लागू करने के लिए कार्य करती है। यह सुनिश्चित करती है कि सभी छात्र-छात्राएँ निर्धारित गणवेश में नियमित रूप से महाविद्यालय में उपस्थित हों।

22.10 **मान्यता समिति**– यह समिति विश्वविद्यालय से मान्यता के नवीनीकरण तथा नए पाठ्यक्रम प्रारंभ करने के लिए कार्य करती है। यह प्रत्येक वर्ष मान्यता विस्तार के लिए होने वाली निरीक्षण/पैनल प्रक्रिया को समयबद्ध रूप से पूर्ण कराने का कार्य करती है।

22.11 **छात्र मार्गदर्शक समिति**– यह समिति महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को शैक्षणिक एवं व्यक्तिगत मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु कार्य करती है। समिति द्वारा प्रत्येक सेमेस्टर की कक्षाओं के लिए अलग-अलग शिक्षकों को मार्गदर्शक (मेंटॉर) के रूप में नियुक्त किया जाता है, जो छात्रों की समस्याओं के समाधान, अध्ययन में सहयोग तथा अनुशासन एवं शैक्षणिक प्रगति के लिए नियमित मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।

23. शैक्षणिक विभाग

23.1 **विषयाधारित शिक्षण एवं पाठ्यक्रम प्रबंधन समिति**– यह समिति महाविद्यालय में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों की शिक्षण व्यवस्था के सुचारु संचालन के लिए कार्य करती है। समिति शिक्षक डायरी के अनुसार शिक्षण कार्य सुनिश्चित करने तथा ऑनलाइन एवं ऑफलाइन माध्यम से प्रभावी शिक्षण व्यवस्था बनाए रखने हेतु आवश्यक समन्वय एवं निगरानी का कार्य करती है।

23.2 **शैक्षणिक समय-सारणी, उपस्थिति एवं अवकाश समिति**– यह समिति महाविद्यालय की शैक्षणिक समय-सारणी तैयार करने, शिक्षकों के विषय एवं कार्यभार के अनुसार कक्षाओं का निर्धारण करने तथा छात्र-छात्राओं एवं शिक्षकों की उपस्थिति व्यवस्था की निगरानी हेतु कार्य करती है। समिति यह सुनिश्चित करती है कि कक्षाएँ निर्धारित समय के अनुसार नियमित रूप से संचालित हों। साथ ही, समिति शैक्षणिक कैलेंडर के अनुरूप अवकाश एवं अन्य आवश्यक शैक्षणिक सूचनाओं के निर्धारण का कार्य करती है।

23.3 **पुस्तकालय एवं डिजिटल पुस्तकालय समिति**– यह समिति महाविद्यालय के केंद्रीय एवं डिजिटल पुस्तकालय के सुचारु संचालन, रखरखाव एवं विकास हेतु कार्य करती है। समिति पुस्तकालय सदस्यता, नियमावली के अनुसार शुल्क निर्धारण, पुस्तक वितरण एवं वापसी तथा अनुशासन व्यवस्था सुनिश्चित करती है। साथ ही, यह डिजिटल पुस्तकालय के माध्यम से छात्र-छात्राओं को आवश्यक अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराने का कार्य करती है।

24. प्रशासन एवं आधारभूत संरचना विभाग

24.1 **कार्यालय प्रबंधन समिति**– यह समिति छात्र–छात्राओं एवं कार्यालय के मध्य बेहतर समन्वय स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। साथ ही महाविद्यालय के शिक्षणेतर एवं गैर–शैक्षणिक कार्यों को सुचारु, व्यवस्थित एवं अनुशासित रूप से संचालित करने के लिए कार्य करती है।

24.2 **भवन, परिसर रखरखाव एवं सौन्दर्यीकरण समिति**– यह समिति महाविद्यालय भवन एवं परिसर के रखरखाव, स्वच्छता एवं सौंदर्यकरण को सुनिश्चित करने के लिए कार्य करती है। साथ ही महाविद्यालय की समस्त चल एवं अचल संपत्तियों के संरक्षण, देखरेख एवं सुव्यवस्थित रखरखाव की जिम्मेदारी निभाती है।

24.3 **बहुउद्देशीय हॉल समिति**– यह समिति महाविद्यालय के बहुउद्देशीय हाल के सुचारु संचालन, उपयोग, रखरखाव एवं प्रशासनिक व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने के लिए कार्य करती है।

24.4 **आईसीटी संसाधन प्रबंधन समिति**– यह समिति महाविद्यालय में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) से संबंधित संसाधनों के सुचारु संचालन, रखरखाव एवं प्रबंधन के लिए कार्य करती है।

25. परीक्षा विभाग

25.1 **श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय परीक्षा समिति**– यह समिति श्री देव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित परीक्षा कार्यक्रमों के अनुसार महाविद्यालय की समस्त आंतरिक एवं बाह्य परीक्षाओं का सुचारु संचालन सुनिश्चित करती है। समिति छात्र–छात्राओं के आंतरिक मूल्यांकन, परीक्षा प्रपत्र भरवाने, परीक्षा संबंधी सूचनाएँ उपलब्ध कराने तथा विश्वविद्यालय परीक्षा से संबंधित अन्य समस्त कार्यों का संचालन एवं समन्वय करती है।

25.2 **उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय परीक्षा समिति**– यह समिति महाविद्यालय में उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के सुचारु संचालन हेतु कार्य करती है। समिति परीक्षा व्यवस्था, गोपनीयता, अनुशासन एवं समयबद्ध संचालन सुनिश्चित करते हुए विश्वविद्यालय के निर्देशानुसार समस्त परीक्षा कार्य संपन्न कराती है।

25.3 **देवभूमि संस्कृति एवं सामान्य ज्ञान परीक्षा समिति**– यह समिति ग्लोबल शिक्षा समिति के तत्वावधान में महाविद्यालय के सहयोग से आयोजित "देवभूमि संस्कृति एवं सामान्य ज्ञान परीक्षा" के संचालन हेतु कार्य करती है। समिति का उद्देश्य उत्तराखण्ड के पर्वतीय एवं जनजातीय क्षेत्रों के छात्र–छात्राओं में लोक संस्कृति, परंपराओं, सामान्य ज्ञान एवं प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रति जागरूकता को बढ़ावा देना है।

26. प्रवेश एवं शैक्षणिक नीति विभाग

26.1 **राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्रियान्वयन समिति**– यह समिति श्री देव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की नियमावली के अनुसार महाविद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया, विषय चयन तथा शैक्षणिक गतिविधियों का सुचारु संचालन सुनिश्चित करती है। साथ ही, यह समिति राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन एवं उसके प्रचार–प्रसार हेतु विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करती है।

26.2 **समर्थ पोर्टल समिति**– यह समिति विश्वविद्यालय में लागू समर्थ पोर्टल के माध्यम से महाविद्यालय में प्रवेश, परीक्षा एवं अन्य शैक्षणिक प्रक्रियाओं का सुचारु संचालन सुनिश्चित करती है। समिति छात्र–छात्राओं को ऑनलाइन सुविधाएँ उपलब्ध कराने तथा पोर्टल से संबंधित समस्त कार्यों के प्रभावी समन्वय हेतु कार्य करती है।

26.3 प्रवेश समिति– यह समिति महाविद्यालय की प्रवेश प्रक्रिया को सरल, सुव्यवस्थित एवं पारदर्शी बनाने के लिए कार्य करती है। समिति छात्र–छात्राओं को प्रवेश संबंधी आवश्यक जानकारी, मार्गदर्शन एवं सहायता उपलब्ध कराते हुए प्रवेश प्रक्रिया के सफल संचालन को सुनिश्चित करती है।

27. सामाजिक एवं जनसंपर्क विभाग

27.1 राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS) समिति– यह समिति महाविद्यालय में छात्र–छात्राओं को समाजोपयोगी सेवाओं एवं सामाजिक गतिविधियों से जोड़ने वाली एक प्रमुख इकाई है। यह उत्तराखण्ड सरकार के युवा कल्याण विभाग एवं विश्वविद्यालय द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार विभिन्न कार्यक्रमों एवं गतिविधियों का संचालन करती है।

27.2 रोवर रेंजर्स समिति– यह समिति छात्र–छात्राओं में स्काउट–गाइड गतिविधियों के माध्यम से सेवा, अनुशासन, नेतृत्व एवं सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना विकसित करने के लिए कार्य करती है।

27.3 जनजातीय संग्रहालय समिति– यह समिति जनजातीय संस्कृति के संरक्षण, संवर्धन एवं अध्ययन हेतु कार्य करती है। समिति विशेष रूप से जौनसारी जनजाति की लोक–संस्कृति, जीवन शैली, कला परंपराओं, बोली–भाषा, पहनावे, खानपान, रीति–रिवाजों एवं जीवनोपयोगी वस्तुओं के दस्तावेजीकरण, संग्रहण एवं प्रदर्शन को सुनिश्चित करती है।

27.4 राष्ट्रीय केडिट कोर (NCC) समिति– समिति के माध्यम से महाविद्यालय में राष्ट्रीय कैडेट कोर (NCC) इकाई प्रारंभ करने की प्रक्रिया गतिमान है।

27.5 अभिभावक–शिक्षक समिति– यह समिति छात्र–छात्राओं के शैक्षणिक, नैतिक एवं सामाजिक विकास हेतु शिक्षकों एवं अभिभावकों के बीच सकारात्मक समन्वय स्थापित करने के लिए कार्य करती है।

27.6 आपदा प्रबन्धन समिति– यह समिति महाविद्यालय परिसर में आगजनी, भूकंप, शॉर्ट सर्किट, स्वास्थ्य संबंधी आपदा अथवा अन्य प्राकृतिक एवं मानवजनित आपदाओं की स्थिति में त्वरित एवं समन्वित कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए कार्य करती है। साथ ही यह समिति छात्र–छात्राओं को आपदा प्रबंधन एवं सुरक्षा संबंधी प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु समय–समय पर जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करती है।

27.7 उन्नत भारत योजना समिति– यह समिति सामाजिक जागरूकता एवं ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए गाँवों को गोद लेकर स्थानीय ग्रामवासियों के साथ समन्वय स्थापित कर विभिन्न गतिविधियों एवं जनहितकारी कार्यों का संचालन करती है।

28. सांस्कृतिक एवं सह–शैक्षणिक गतिविधि विभाग

28.1 सांस्कृतिक समिति– यह समिति छात्र–छात्राओं को एक ऐसा मंच प्रदान करती है, जहाँ वे अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर आत्मविश्वास एवं व्यक्तित्व विकास को सुदृढ़ कर सकें। साथ ही यह महाविद्यालय में वार्षिक गतिविधियों एवं कार्यक्रमों के समुचित आयोजन एवं संचालन को सुनिश्चित करने के लिए कार्य करती है।

28.2 राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत एवं ध्वज समिति– यह समिति महाविद्यालय में प्रत्येक कार्य दिवस पर प्रातःकालीन राष्ट्रगान एवं सायंकालीन राष्ट्रगीत के नियमित प्रसारण को सुनिश्चित करती है। साथ ही राष्ट्रीय दिवसों के अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने एवं संबंधित कार्यक्रमों का समुचित आयोजन करती है।

28.3 अतिरिक्त शैक्षणिक क्रियाकलाप एवं वार्षिक गतिविधि समिति– यह समिति महाविद्यालय स्तर पर उन सभी सह–शैक्षणिक गतिविधियों का आयोजन करती है, जो महाविद्यालय के वार्षिक कैलेंडर में पूर्व निर्धारित नहीं हैं। साथ ही यह समिति वार्षिक कैलेंडर में निर्धारित कार्यक्रमों के आयोजन की व्यवस्था सुनिश्चित करती है।

28.4 वार्षिक रिपोर्ट समिति– यह समिति महाविद्यालय में आयोजित समस्त गतिविधियों एवं उपलब्धियों का रिकॉर्ड संकलित कर एक सुव्यवस्थित वार्षिक रिपोर्ट तैयार करती है।

29. सूचना, संचार एवं प्रकाशन विभाग

29.1 कलिन्दजा: स्मारिका समिति– यह समिति महाविद्यालय की वार्षिक गतिविधियों, कार्यक्रमों, छात्र–छात्राओं की उपलब्धियों तथा शिक्षकों एवं शिक्षणेतर कर्मचारियों की रचनाओं को संकलित कर एक सुव्यवस्थित एवं आकर्षक वार्षिक स्मारिका के प्रकाशन हेतु कार्य करती है। यह स्मारिका प्रतिवर्ष महाविद्यालय के वार्षिक उत्सव के अवसर पर प्रकाशित की जाती है।

29.2 जौनसार दर्पण : संवाद पत्र समिति– यह समिति महाविद्यालय में संचालित शैक्षणिक, सांस्कृतिक, खेल, शोध एवं सामाजिक गतिविधियों को संकलित कर उन्हें समाचार स्वरूप में प्रस्तुत करने के लिए कार्य करती है। इसमें महाविद्यालय की प्रमुख उपलब्धियाँ, कार्यक्रम, पुरस्कार तथा छात्र–छात्राओं एवं शिक्षकों की सहभागिता को प्रकाशित किया जाता है। यह संवाद पत्र प्रत्येक वर्ष नियमित रूप से प्रकाशित किया जाता है।

29.3 कलिन्दजा : एक जनजातीय शोध पत्रिका समिति– यह समिति महाविद्यालय की शोध पत्रिका के प्रकाशन एवं शोध गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए कार्य करती है। इस पत्रिका के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर छात्र–छात्राओं तथा शिक्षकों द्वारा किए गए शोध कार्यों को प्रकाशित किया जाता है। यह पत्रिका वार्षिक रूप से प्रकाशित की जाती है।

29.4 विवरणिका समिति– यह समिति प्रत्येक वर्ष नवीन प्रवेश सत्र प्रारंभ होने से पूर्व एक विवरणिका का प्रकाशन करती है। इस विवरणिका में प्रवेश नियम, विश्वविद्यालय के दिशा–निर्देश, आवेदन प्रक्रिया, परीक्षा संबंधी नियम तथा छात्र–छात्राओं से जुड़ी अन्य आवश्यक सूचनाएँ सम्मिलित होती हैं। इसके माध्यम से महाविद्यालय की विभिन्न शैक्षणिक एवं सह–शैक्षणिक गतिविधियों की जानकारी छात्रों तक सरल एवं व्यवस्थित रूप से पहुँचाई जाती है।

29.5 मीडिया एवं सोशल मीडिया समिति– यह समिति महाविद्यालय में आयोजित सभी कार्यक्रमों एवं गतिविधियों की प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक एवं सोशल मीडिया के माध्यम से प्रभावी कवरेज सुनिश्चित करती है। साथ ही महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय स्तर से जारी आदेशों एवं सूचनाओं को छात्र–छात्राओं तक पहुँचाने हेतु व्हाट्सएप समूह का निर्माण कर उन्हें उसमें सम्मिलित करती है।

29.6 वेबसाइट समिति– यह समिति महाविद्यालय से संबंधित समस्त आवश्यक सूचनाएँ, दस्तावेज एवं गतिविधियाँ वेबसाइट पर अपलोड करने तथा समय–समय पर उनका संशोधन एवं सुधार कर महाविद्यालय की वेबसाइट को नियमित एवं व्यवस्थित रूप से संचालित रखने का कार्य करती है।

29.7 सामुदायिक रेडियो केन्द्र समिति– यह समिति महाविद्यालय में सामुदायिक रेडियो केन्द्र की स्थापना, संचालन एवं प्रभावी प्रसारण व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए कार्य करती है। इसकी प्रक्रिया गतिमान है।

30. क्रीड़ा विभाग

30.1 क्रीड़ा आयोजन समिति– यह समिति महाविद्यालय में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने तथा छात्र–छात्राओं को खेलों के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए कार्य करती है। समिति विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन करती है तथा उत्कृष्ट खिलाड़ियों को विश्वविद्यालय स्तर की प्रतियोगिताओं हेतु तैयार करती है।

31. करियर मार्गदर्शन एवं प्लेसमेंट विभाग

31.1 करियर काउंसलिंग एवं प्लेसमेंट समिति– यह समिति छात्र–छात्राओं को शैक्षणिक, व्यावसायिक एवं व्यक्तित्व विकास हेतु मार्गदर्शन एवं सहायता प्रदान करती है। यह छात्रों की अभिरुचि, क्षमता एवं लक्ष्य के अनुसार उपयुक्त रोजगार एवं उच्च शिक्षा के अवसरों के चयन में सहयोग करती है तथा प्रतियोगी परीक्षाओं एवं विभिन्न रोजगार विकल्पों की जानकारी उपलब्ध कराती है। समिति समय–समय पर रोजगार जागरूकता शिविर, संगोष्ठी एवं व्याख्यानों का आयोजन करती है। यह विशेष रूप से ग्रामीण एवं जनजातीय क्षेत्र के छात्रों में करियर जागरूकता बढ़ाने तथा उन्हें उच्च शिक्षा एवं रोजगार की मुख्यधारा से जोड़ने में सक्रिय भूमिका निभाती है।

31.2 एस.एम.आर. अकादमी समिति– यह अकादमी ग्लोबल शिक्षा समिति की एक सक्रिय शाखा के रूप में महाविद्यालय में नवाचार आधारित शैक्षणिक एवं कौशल विकास गतिविधियों का संचालन करती है। इसका उद्देश्य छात्र–छात्राओं को रोजगार से जोड़ना तथा उन्हें जीवनोपयोगी कौशलों में सक्षम बनाना है। इसके अंतर्गत सिलाई प्रशिक्षण, कंप्यूटर प्रशिक्षण, प्रमाण–पत्र पाठ्यक्रम तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु कोचिंग कक्षाएँ संचालित की जाती हैं।

31.3 छात्र प्रतिनिधि समिति– यह समिति महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं के बीच लोकतांत्रिक संस्कृति को बढ़ावा देने, छात्र हितों की अभिव्यक्ति हेतु मंच प्रदान करने तथा महाविद्यालय प्रशासन एवं छात्रों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए कार्य करती है।

31.4 पूर्व छात्र समिति– यह समिति महाविद्यालय के पूर्व छात्रों को एक संगठित नेटवर्क के माध्यम से जोड़ने तथा उन्हें संस्थान से निरंतर भावनात्मक एवं व्यावहारिक रूप से जुड़े रखने के लिए कार्य करती है।

32. दूरस्थ शिक्षा विभाग

32.1 दूरस्थ शिक्षा अध्ययन केंद्र संचालन समिति– यह समिति उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के माध्यम से दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत संचालित अध्ययन केंद्र कोड–11130 में विभिन्न पाठ्यक्रमों का संचालन एवं समन्वय करती है। विश्वविद्यालय द्वारा छात्र–छात्राओं को नि:शुल्क अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। साथ ही छात्रों की सुविधा हेतु समय–समय पर परामर्श सत्रों का आयोजन किया जाता है। यह एक विशेष अध्ययन केंद्र है, जिसमें प्रवेश लेने वाली अनुसूचित जनजाति की महिलाओं को विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शुल्क में 15 प्रतिशत छूट प्रदान करने की व्यवस्था लागू है।

वार्षिक गतिविधियाँ एवं कार्यक्रम कैलेण्डर

जुलाई	**अक्टूबर**	**अप्रैल**
07 श्री राजेन्द्र सिंह तोमर स्मृति दिवस	02 गांधी /शास्त्री जयन्ती/स्वच्छता दिवस	14 अम्बेडकर जयन्ती
25 श्रीदेव सुमन बलिदान दिवस	**नवम्बर**	**मई**
अगस्त	07 वीर नन्तराम नेगी स्मृति दिवस	03 शहीद केसरी चन्द्र स्मृति दिवस
12 राष्ट्रीय पुस्तकालयाध्यक्ष दिवस	09 उत्तराखण्ड राज्य स्थापना दिवस	18 अन्तर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस
15 राष्ट्रीय पर्व स्वतन्त्रता दिवस	15 जनजाति गौरव दिवस	30 हिन्दी पत्रकारिता दिवस
29 राष्ट्रीय खेल दिवस	**जनवरी**	**जून**
सितम्बर	26 राष्ट्रीय पर्व गणतन्त्र दिवस	05 विश्व पर्यावरण दिवस
05 राष्ट्रीय शिक्षक दिवस	**फरवरी**	06 एस.एम.आर.जनजातीय(पी.जी.) कॉलेज स्थापना दिवस
14 हिन्दी दिवस	11 श्री महिपाल सिंह तोमर स्मृति दिवस	21 अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस
24 एन.एस.एस. स्थापना दिवस	**मार्च**	
	08 अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस	

SMR IN PRESS

साहिया महाविद्यालय के रोवर–रेंजर्स छात्रों ने सीखे आपदा प्रबंधन के गुर

16 नवंबर, साहिया (गढ़ बैराट न्यूज): सरदार महिपाल राजेंद्र जनजातीय पीजी कॉलेज साहिया के 26 छात्र-छात्राओं ने भारत स्काउट्स एंड गाइड्स उत्तराखंड द्वारा भूपालवाला, देहरादून में आयोजित आपदा मित्र प्रशिक्षण में प्रतिभाग कर आपदा प्रबंधन से जुड़े महत्वपूर्ण कौशल सीखे। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य युवाओं को प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राहत एवं बचाव कार्यों में दक्ष बनाना है, ताकि आपात स्थिति में वे समाज की प्रभावी सहायता कर सकें।

प्रशिक्षण के प्रमुख वक्ता प्रदेश प्रशिक्षण आयुक्त राम सिंह नेगी ने प्रतिभागियों को आपदा की स्थिति में त्वरित ...

आयुक्त महेंद्र सिंह बिष्ट, भवनेश्वरी बिष्ट, रजनी बिष्ट सहित अन्य विशेषज्ञ प्रशिक्षक भी उपस्थित रहे। प्रशिक्षकों ... आपदा के दौरान और ... आपदा के बाद की महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं की विस्तृत जानकारी दी। कार्यक्रम में राज्य स्तरीय मॉक ड्रिल टीम द्वारा वास्तविक परिस्थितियों पर आधारित अभ्यास कराए गए, जिनमें छात्रों ने पूरे मनोयोग से भाग लिया। स्वयं की सुरक्षा, प्राथमिक उपचार, अन्य लोगों की सहायता, टीम वर्क, संचार प्रणाली तथा आपदा स्थल पर कार्य करने के व्यावहारिक तरीकों की गहन जानकारी दी गई, जिससे छात्रों का आत्मविश्वास और दक्षता दोनों में वृद्धि हुई।

समापन सत्र में रोवर–रेंजर्स का परीक्षण लिया गया। प्रशिक्षण के अंत में प्रदेश प्रशिक्षण आयुक्त राम सिंह नेगी ने सभी अतिथियों और प्रशिक्षकों का आभार व्यक्त किया। इस राज्य स्तरीय प्रशिक्षण में कुल 39 प्रतिभागी उपस्थित रहे, जिनमें साहिया महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं प्रांजल चौहान, आशीष रावत, आशीष वर्मा, रितेश, पुष्पा, रवीना, अंकित, रेखा आदि ने विशेष रूप से उत्कृष्ट प्रदर्शन किया।

साहिया कॉलेज के छात्र लेखक गांव पहुंचे, साहित्यिक विरासत से हुए रूबरू : डॉ. शशिकला

हिन्दी विभाग के छात्रों का शैक्षिक भ्रमण, प्रकृति के सानिध्य में साहित्य सृजन की प्रक्रिया को समझा

सरदार महिपाल राजेन्द्र जनजातीय पीजी कॉलेज, साहिया के हिन्दी विभाग के छात्र-छात्राएं एक दिवसीय शैक्षिक भ्रमण के ...

मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को प्रकृति के सानिध्य में साहित्य सृजन की प्रक्रिया से परिचित कराना तथा हिमालयी सांस्कृतिक विरासत को समझने का अवसर प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि ऐसे भ्रमण विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस दौरान छात्रों ने जाना कि ...

शादी समारोह में बोतल बंद नहीं, प्राकृतिक स्रोत के पानी का उपयोग करेंगे ग्रामीण

ककाड़ी गांव में आयोजित एनएसएस के शिविर में स्वयंसेवियों ने ग्रामीणों संग की बैठक

- प्राकृतिक जल स्रोतों की सफाई कर उन्हें संरक्षित करने की योजना
- स्वयंसेवकों का सुझाव, इससे फिजूलखर्ची पर अंकुश और पर्यावरण को मिलेगा लाभ

ककाड़ी गांव में आयोजित राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर में ... • जागरण

सामाजिक एकता ही पहाड़ की ताकत : जगत सिंह

राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवियों ने दिया पारंपरिक हस्तशिल्प कला का प्रशिक्षण

साहिया पीजी कॉलेज "एक पेड़ माँ के नाम" पर किया पौधारोपण

10 सितंबर, साहिया (गढ़ बैराट न्यूज): सरदार महिपाल राजेंद्र जनजातीय (पी.जी.) कॉलेज, साहिया की राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) इकाई ने एक दिवसीय शिविर कार्यक्रम के अंतर्गत "एक पेड़ माँ के नाम" थीम पर पौधारोपण एवं पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया।

कार्यक्रम में आयोजित पोस्टर प्रतियोगिता में पूजा ने प्रथम, हेमंत ने द्वितीय एवं सोनिया ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। वहीं, निबंध प्रतियोगिता में सोनिया ने प्रथम, अंबिका तोमर ने द्वितीय और प्रमिला ने तृतीय स्थान हासिल किया। विजेता छात्र-छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। एक दिवसीय शिविर के दौरान एनएसएस स्वयंसेवियों ने पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। कार्यक्रम अधिकारी वरुण प्रसाद सेमवाल ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन हमारा मौलिक कर्तव्य है। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर विभिन्न प्रजातियों के पौधे रोपे गए, साथ ही छात्रों ने पर्यावरण को स्वच्छ और सुरक्षित बनाए रखने की शपथ ली। इस कार्यक्रम में मेरा युवा भारत कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार से जुड़े युवा मंडल सदस्य अमित कोहली का विशेष से उपस्थित रहे।

इस अवसर पर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. रवि कुमार, उप-प्राचार्य डॉ. प्रियंका जलाल, डॉ. शशिकला, डॉ. रेनू देवी, डॉ. चंद्रिका, सुश्री पूजा पांडे, रवीना, पूजा, अंबिका तोमर, प्रमिला, यशिका, गीता, तनीषा राणा, रेनू, अजय, अजीत, अरुणा रावत, कविता, हेमंत, साक्षी, अंकित, नंदिनी, विक्रम, प्रिया आदि उपस्थित रहे।

साहिया पीजी कॉलेज में नवप्रवेशित छात्र-छात्राओं का स्वागत

22 अगस्त, साहिया (गढ़ बैराट न्यूज): सरदार महिपाल राजेंद्र जनजातीय (पी.जी.) कॉलेज, साहिया में शैक्षणिक सत्र 2025-26 के नवप्रवेशित छात्र-छात्राओं के लिए ... कार्यक्रम आयोजित किया गया। ... राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 ...

नशे के खिलाफ छात्र-छात्राओं ने निकाली रैली

साहिया में जागरूकता रैली निकालते छात्र-छात्राएं। स्रोत : महाविद्यालय

साहिया। जौनसार बावर क्षेत्र में बढ़ते नशे और जुए की प्रवृत्ति के खिलाफ बुधवार ... विभिन्न विद्यालयों के छात्र-छात्राओं ने जागरूकता रैली निकाली। इस दौरान ... न्होंने सामाजिक बुराइयों को दूर करने में प्रत्येक व्यक्ति से सहयोगी बनने की अपी... की। सरदार महिपाल राजेंद्र जनजाति पीजी कॉलेज, सजग इंडिया के संयुक्त ... माध्यम से रैली आयोजन किया गया। रैली में क्षेत्र के 14 इंटर कॉलेजों के सैकड़ों छात्र-छात्राओं ने भाग लिया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण पंकज गैरोला ... कहा नशे के समाप्ति के लिए सरकारी स्तर पर नियमित प्रयास किए जा रहे हैं। ...

भारतीय ज्ञान परंपरा आज भी प्रासंगिक : रावत

भारतीय ज्ञान परंपरा और आधुनिक शिक्षा के समन्वय विषय पर साहिया में हुआ राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन

खेलो इंडिया में श्रीदेव सुमन विवि के सागर ने जीता रजत पदक

खेलो इंडिया प्रतियोगिता के उप विजेता सागर। स्रोत : महाविद्यालय

साहिया। खेलो इंडिया अंतर विश्वविद्यालयी खेलकूद प्रतियोगिता ... बेहद करीबी मुकाबले में सागर ...

एसएमआर कॉलेज साहिया में निर्विरोध चुने गए

विकासनगर, 27 सितम्बर (सुरेश) : सरदार महिपाल राजेंद्र जनजातीय (पीजी) कॉलेज साहिया में याशिका अध्यक्ष, रविता उपाध्यक्ष और मनोज सह-सचिव निर्विरोध चुने गए। 22 सितम्बर को नामांकन पत्रों की बिक्री के समय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सह-सचिव प्रतिनिधि पद पर मात्र एक-एक नामांकन पत्र खरीदा गया था। 24 सितम्बर को नामांकनपत्रों की जांच कर अंतिम सूची जारी की गई। निर्वाचन अधिकारी डॉ. प्रियंका जलाल ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शुभकामनाएं दी। बताया, छात्र प्रतिनिधि चुनाव से छात्रों में लोकतांत्रिक मूल्यों, नेतृत्व, क्षमता और जिम्मेदारी भावना का विकास होगा। इस मौके पर महाविद्यालय प्राचार्य डॉ. रवि कुमार, डॉ. शशिकला, डॉ. रेनू देवी, डॉ. चंद्रिका, रेखा, आशा, रिंकू दास, प्रदीप कुमार, नितिन तोमर, भरत सिंह, गंभीर चौहान, रितेश चौहान ...

कुश्ती में साहिया के पहलवानों का दबदबा

एसएमजेएन पीजी कॉलेज कर रहा अंतरमहाविद्यालयी प्रतियोगिता की मेजबानी, आठ स्वर्ण पदक जीते साहिया के छात्रों ने

कुश्ती प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने वाले साहिया कॉलेज के खिलाड़ी। स्रोत : महाविद्यालय

■ स्वर्ण और रजत पदक विजेताओं का प्रदर्शन

खो-खो प्रतियोगिता में पौड़ी ... जेबीआईटी ने दर्ज की जीत

ककाड़ी गांव को गोद लेगा महाविद्यालय

नवप्रवेशित विद्यार्थियों को शुल्क में छूट देने समेत सात प्रस्ताव पास किए

शैक्षणिक परिषद बैठक में मौजूद सदस्य व पदाधिकारी। स्रोत : महाविद्यालय

साहिया। सरदार महिपाल राजेंद्र जनजाति पीजी कॉलेज में शैक्षणिक परिषद की छठी बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में क्षेत्र के ककाड़ी गांव को गोद लेने व नवप्रवेशित विद्यार्थियों को शुल्क में छूट देने समेत सात प्रस्ताव चर्चा के बाद पारित किए गए। ...

कार्यशाला | नई शिक्षा को लेकर साहिया कॉलेज ने शुरू किया जागरूकता अभियान, बच्चों को शिक्षा व्यवस्था में अवसरों से कराया अवगत

छात्र-छात्राओं को दी नई शिक्षा नीति की जानकारी

श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय का कबड्डी चैंपियन बना साहिया पीजी कॉलेज

गोविंद चौहान रोहित नेगी नीरज तोमर

अविस्मरणीय स्मृतियाँ: स्व. महिपाल सिंह तोमर

सरदार महिपाल राजेन्द्र जनजातीय (पी.जी.) कॉलेज

S.M.R. JANJATIYA (P.G.) COLLEGE

श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय से सम्बद्ध-309

साहिया, तहसील-कालसी, देहरादून-248196 उत्तराखण्ड

फोन नं.: 01360-298172, 9759491931, 7906624646, 9759591931, 9410508036

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा संचालित विशेष अध्ययन केन्द्र कोड 11130

फोन नं.: 0135-2719867, 9719491931, 9759491934, 7579244111

Printed by Priyanka Graphic Printers 7017695204

₹ 500/-